



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112020-223047
CG-DL-E-11112020-223047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]
No. 326]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

मामला सं. एडी-ओआई-17/2020

विषय: चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका से "रबर केमिकल पीएक्स-13" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच – प्रारंभिक जांच परिणाम।

फा. सं. 6/20/2020-डीजीटीआर.—

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स नोसिल लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "रबर केमिकल पीएक्स-13" (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार टीपीएम कंसल्टेंट के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो, की सिफारिश करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 27 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या 06/20/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत की कार्रवाई से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन पत्र की प्राप्ति होने के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 27 मई, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 27 मई, 2020 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
- घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर हितबद्ध पक्षकारों को उनके उत्तर तथा अनुरोध दायर करने के लिए समय बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी। दिनांक 30 जून, 2020 के पत्र द्वारा समय 24 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया गया था। 23 जुलाई, 2020 के पत्र द्वारा समय 7 अगस्त, 2020 तक बढ़ाया गया था।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं:
- (i) चीन सनशाइन केमिकल होल्डिंग्स लिमिटेड
 - (ii) सेनिक्स कं. लिमिटेड - सिनोकेम इंटरनेशनल (जियांग्सु सिनोरगैम टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड)
 - (iii) शानडोंग यंग हुट्टाई केमिकल कं. लिमिटेड
 - (iv) चांगदे डिंगयुआन केमिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड
 - (v) डोंडियांग बो केन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (vi) जिनान रंगुआन केमिकल कं. लिमिटेड
 - (vii) नानजिंग केमिकल प्लांट (एनसीपी)
 - (viii) झेजियांग योंगजिया केमिकल प्लांट
 - (ix) हेनान कैलू केमिकल कं. लिमिटेड
 - (x) रोंगचेंग केमिकल जनरल फैक्ट्री कंपनी लिमिटेड

- (xi) डालियान रिचोन केमिकल कं. लिमिटेड
- (xii) झेनजियांग नंबर 2 केमिकल फैक्ट्री
- (xiii) हेबेई हुआफेंग केमिकल ग्रुप
- (xiv) शेन्जेन हुआरेन इंडस्ट्रियल कं
- (xv) यिक्सिंग डोंगफांग फिस केमिकल्स
- (xvi) झेजीना अल्ट्राफाइन पाउडर्स एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड
- (xvii) लायन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (xviii) लिंकवेल रबर केमिकल कंपनी लिमिटेड
- (xix) केमई केमिकल कं. लिमिटेड
- (xx) हेबी हुआक्सिया ऑक्सीलरी कं. लिमिटेड
- (xxi) किंगदाओ झोंगजियान रबर केमिकल कंपनी लिमिटेड
- (xxii) नॉर्थईस्ट ऑक्सीलरी केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
- (xxiii) पुयांग विलिंग केमिकल्स कं. लि.
- (xxiv) झेजियांग हुआंग्यान झेडोंग रबर ऑक्सीलरी कंपनी लिमिटेड
- (xxv) डोंगींग वानटोंग रबर ऑक्सीलरी कंपनी लिमिटेड
- (xxvi) ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, टोंगलिंग केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप की कंपनी
- (xxvii) शंग्यु लिक्सिंग केमिकल कं. लिमिटेड
- (xxviii) तियानजिन ईस्ट रिक्सन रबर एडिटिव्स कं. लिमिटेड
- (xxix) डोंगलोंग इंडस्ट्री लिमिटेड, जियांग्सु की कंपनी
- (xxx) जिनचेंग स्काई सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
- (xxxi) हेबेई हांक्सिंग केमिकल कं. लिमिटेड
- (xxxii) जिनचेंग तियांचेंग केमिकल कं
- (xxxiii) गेबी उहू रबर केमिकल्स कं. लिमिटेड
- (xxxiv) कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड
- (xxxv) देवू इंटरनेशनल कारपोरेशन
- (xxxvi) लैंक्सेस कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका

ज. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों तथा उनके संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दिए एवं प्रस्तुत किये:

- (i) लैंक्सेस कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका (लैंक्सेस)
- (ii) कुम्हो पेट्रो केमिकल कंपनी लिमिटेड कोरिया गणराज्य (कुम्हो)
- (iii) सेनिक्स कं. लिमिटेड शानडोंग, चीन जन. गण.
- (iv) सेनिक्स कं. लिमिटेड ताइवान, चीन जन. गण.
- (v) सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड

- (vi) सेनिक्स इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका
 - (vii) सेनिक्स कं. लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - (viii) पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कोरिया (पॉस्को)
- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजीं:
- (i) लैंक्सेस इंडिया पी. लि.
 - (ii) पीएमसी रबकेम पी. लि.
 - (iii) अपोलो टायर्स
 - (iv) एटीसी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - (v) बिडला टायर
 - (vi) बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - (vii) ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - (viii) जे.के. फेनर (इंडिया) लिमिटेड
 - (ix) सिएट लिमिटेड
 - (x) राल्सन
 - (xi) एमआरएफ लि.
 - (xii) जेके टायर्स
 - (xiii) टीवीएस श्रीचक्र
 - (xiv) गुडइयर इंडिया लि।
 - (xv) मल्होत्रा रूबर्स लिमिटेड
 - (xvi) मेट्रो टायर्स लिमिटेड
 - (xvii) स्पीडवेज रबर कंपनी
- ञ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावलियों के उत्तर दिए तथा प्रस्तुत किये:
- (i) मैसर्स लैंक्सेस इंडिया प्रा. लिमिटेड
 - (ii) मैसर्स रिशिरूप लिमिटेड
 - (iii) मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड
 - (iv) मैसर्स सिएट लिमिटेड
 - (v) मैसर्स जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - (vi) मैसर्स एमआरएफ लिमिटेड
- ट. प्राधिकारी ने दिनांक 27 मई, 2020 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध सामानों की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को भेजी:
- i. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (एटीएमए)

- ठ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित एसोसिएशनों द्वारा जांच की शुरूआत की अधिसूचना का उत्तर दिया गया है:
- i. ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए)
 - ii. ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एआईआरआईए)
- ड. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- ढ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 माह) है। तथापि, क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।
- ण. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपने विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- त. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे यहां आगे "एनआईपी" कहा गया है) निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- थ. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- द. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राथमिक जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- ध. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में साक्ष्यों के समर्थित तथा संगत मानी गई सीमा तक इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर विचार किया है। प्राधिकारी आगे प्राथमिक जांच परिणाम के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यपरक दस्तावेजों की जांच करेंगे जो अंतिम जांच परिणाम के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेंगे।
- न. इस अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- प. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरूआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"विचाराधीन उत्पाद "रबर केमिकल पीएक्स-13" (जिसे यहां आगे पीएक्स-13 भी कहा गया है) है जिसे 6पीपीडी, एंटीऑक्सीडेंट 6पीपीडी, कुमानोक्स 13, सेंटोफ्लेक्स 6पीपीडी, सिरनटोक्स 6पीपीडी, वुल्कानोक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, दुसानटोक्स 6पीपीडी, एंटेज 6सी, एन-1.3, 3-डिमिथाइलबुटाइल-एन-फिनाइल-पी-फिनाइलेनेडायमीन, इत्यादि के रूप में भी जाना जाता है।

पीएक्स-13 एक एल्काइल-अराइल-पीपीडी एंटीडिटर्जेंट है जो व्यापक रूप से अधिकतर रबर उद्योग के टायर तथा गैर-टायर क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। पीएक्स-13 जो ओजोन (स्थिर तथा गतिशील), फ्लैक्स-क्रैकिंग एवं फैटिंग, ऑक्सीडेटिव हीट एजींग, मेटल-आयन कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेटिव एजींग, यूवी लाइट एवं वैदरिंग जैसे डिग्रेटिव फोर्सेस के विरुद्ध रबर वुल्कानाइजेट्स में उत्कृष्ट प्रतिरोधकता प्रदान करता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर (एसबीआर, बुटाडीन रबर, नाइट्राइल रबर, कार्बोक्सिलेटेड रबर) और रबर उत्पाद का वांछित जीवन-चक्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न रबर उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अन्य सिंथेटिक रबर आधारित मिश्रणों के शोधन में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में किया जाता है। पीएक्स-13, 4एडीपीए और एमआईबीके के रिडक्टिव एल्कीलेशन द्वारा विनिर्मित किया जाता है।

यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण 3812 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 38 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के तहत विचाराधीन उत्पाद के लिए भी आयात होते हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
 - i. आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद "रबर केमिकल पीएक्स-13" जिसे 6पीपीडी, एंटीऑक्सीडेंट 6पीपीडी, कुमानोक्स 13, सेंटोफ्लेक्स 6पीपीडी, सिरनटोक्स 6पीपीडी, वुल्कानोक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, दुसानटोक्स 6पीपीडी, एंटेज 6सी, एन-1.3, 3-डिमिथाइलबुटाइल-एन-फिनाइल-पी-फिनाइलेनेडायमीन के रूप में भी जाना जाता है, है।
 - ii. पीएक्स-13 एक एल्काइल-अराइल-पीपीडी एंटीडिटर्जेंट है जो व्यापक रूप से अधिकतर रबर उद्योग के टायर तथा गैर-टायर क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। पीएक्स-13 जो ओजोन (स्थिर तथा गतिशील), फ्लैक्स-क्रैकिंग एवं फैटिंग, ऑक्सीडेटिव हीट एजींग, मेटल-आयन कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेटिव एजींग, यूवी लाइट एवं वैदरिंग जैसे डिग्रेटिव फोर्सेस के विरुद्ध रबर वुल्कानाइजेट्स में उत्कृष्ट प्रतिरोधकता प्रदान करता है। पीएक्स-13 पेस्टाइल्स सभी प्रकार की तुलन प्रणालियों पर सार-संभाल करने में आसान हैं और निम्न प्रसंस्करण तापमानों पर भी रबर मिश्रणों में तेजी से फैल जाते हैं।
 - iii. यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 और 38 के तहत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद 8 अंकीय एचएस कोडों 29215130, 29215190, 38121000, 38123030, 38123910, 38123990 और 38123100 के तहत आयात किए जा रहे हैं। प्राधिकारी द्वारा रबर रसायनों के पूर्व जांच परिणामों में शुल्क की सिफारिश हमेशा 4 अंकीय स्तरों पर की गई है।
 - iv. आवेदक ने आयातित उत्पादों की समान वस्तु का उत्पादन किया है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. द्रव/पिघला हुआ रूप समान वस्तु नहीं है और इसीलिए उसे संबद्ध सामानों के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।
 - ii. कंपनी ने भारत को द्रव रूप में निर्यात किया है जबकि भारत में द्रव एवं ठोस रूप दोनों को बेचा है।
 - iii. भारत को निर्यातित द्रव रूप पूरा संबद्ध कंपनी को बेचा गया था जिसने इसका आगे प्रसंस्करण किया और भारत में ग्राहकों को ठोस रूप में बेचा।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. विचाराधीन उत्पाद "रबर केमिकल पीएक्स-13" जिसे 6पीपीडी, एंटीऑक्सीडेंट 6पीपीडी, कुमानोक्स 13, सेंटोफ्लेक्स 6पीपीडी, सिरनटोक्स 6पीपीडी, वुल्कानोक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, दुसानटोक्स 6पीपीडी, एंटेज 6सी, एन-1.3, 3-डिमिथाइलबुटाइल-एन-फिनाइल-पी-फिनाइलेनेडायमीन, इत्यादि के रूप में भी जाना जाता है, है।
8. पीएक्स-13 एक एल्काइल-अराइल-पीपीडी एंटीडिटर्जेंट है जो व्यापक रूप से अधिकतर रबर उद्योग के टायर तथा गैर-टायर क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। पीएक्स-13 जो ओजोन (स्थिर तथा गतिशील), फ्लैक्स-क्रेकिंग एवं फैटिंग, ऑक्सीडेटिव हीट एजींग, मेटल-आयन कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेटिव एजींग, यूवी लाइट एवं वैदरिंग जैसे डिग्रेटिव फोर्सेस के विरुद्ध रबर वुल्कानाइजेट्स में उत्कृष्ट प्रतिरोधकता प्रदान करता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर (एसबीआर, बुटाडीन रबर, नाइट्राइल रबर, कार्बोक्सिलेटेड रबर) और रबर उत्पाद का वांछित जीवन-चक्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न रबर उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अन्य पृष्ठ 6 के 2 सिंथेटिक रबर आधारित मिश्रणों के शोधन में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में किया जाता है। पीएक्स-13, 4एडीपीए और एमआईबीके के रिडक्टिव एल्कीलेशन द्वारा विनिर्मित किया जाता है।
9. यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण 3812 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 38 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के तहत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक माना गया है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। जहां कहीं विचाराधीन उत्पाद के आयात सूचित किए गए हैं, वहां वर्तमान निर्धारण के प्रयोजन के लिए उन पर विचार किया गया है।
10. जहां तक द्रव/पिघले हुए रूप को हटाने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी संबद्ध कंपनी से द्रव रूप में आयात किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध निर्यातक/उत्पादक ने द्रव एवं ठोस रूप, दोनों की घरेलू बाजार में बिक्री की है। भारत में यह आयातक पीएक्स-13 का उत्पादक है। कंपनी ने आयातित द्रव पीएक्स-13 को ठोस में प्रसंस्कृत किया है और उसके बाद कंपनी द्वारा उत्पादित पीएक्स-13 के साथ संभावित गिरावटों को बेचा है। इस प्रकार, जहां तक विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं का संबंध है, उन्होंने पीएक्स-13 का ठोस रूप खरीदा है। यह मामला ऐसा होने के नाते द्रव एवं ठोस रूप को दो भिन्न वस्तुओं के रूप में नहीं माना जा सकता और द्रव रूप को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता।
11. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित सामानों की समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक एवं केमिकल विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया है और कर रहे हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार**घ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध**

12. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - क. आवेदक नोसिल लिमिटेड का भारत में संबद्ध सामानों के भारतीय उत्पादन का "प्रमुख अनुपात" है। आवेदक का भारत में संबद्ध सामानों के लिए कुल भारतीय उत्पादन का 70.13 प्रतिशत हिस्सा है।
 - ख. आवेदक ने संबद्ध देशों से जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।
 - ग. आवेदक संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध सामानों के आयातकों से संबद्ध नहीं हैं।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

- क. लैंक्सेस को केवल इस आधार पर घरेलू उद्योग के क्षेत्र से अलग नहीं किया जा सकता कि उसने लैंक्सेस द्वारा किए गए आयातों की मात्रा की स्थिति निर्धारित किए बिना संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

- ख. लैक्सेस 4एडीपीए का आयात कर रहा है, विचाराधीन उत्पाद की घरेलू विनिर्माता के रूप में अपना स्तर बदल नहीं सकता।
- ग. नोसिल अपने स्तर पर भारतीय पाटनरोधी नियमावली के तहत "प्रमुख अनुपात" की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। नोसिल के आधार को भारतीय कुल उत्पादन में लैक्सेस के उत्पादन सहित घरेलू उद्योग के रूप में पुनः मूल्यांकन करने का अनुरोध है और भले ही उसका कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात हो।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:
- "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*
14. यह आवेदन पत्र मैसर्स नोसिल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो जांच की अवधि में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं।
15. भारत में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन निम्नलिखित कंपनियों द्वारा किया जाता है:
- लैक्सेस इंडिया प्रा. लि.
 - पीएमसी रबरकेम प्रा. लि.
16. लैक्सेस द्वारा दी गई सूचना से यह देखा जाता है कि कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से विचाराधीन उत्पाद का काफी मात्रा में आयात किया है। यह भी नोट किया जाता है कि कंपनी निर्यातक से संबद्ध है और स्वयं में आयातक है तथा ऐसे आयातों की मात्रा काफी अधिक (संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों की समग्रता इस कंपनी द्वारा है) है। प्राधिकारी ने लैक्सेस को एक घरेलू उत्पादक माना है, परंतु नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग नहीं माना है। जहां तक लैक्सेस इंडिया की पात्रता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लैक्सेस इंडिया की अपात्रता 4-एडीपीए के आयातों के कारण नहीं है। वह पीएक्स-13 के आयातों और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के साथ उसके संबंध के कारण है।
17. आवेदक का उत्पादन में समग्र भारतीय उत्पादन (लैक्सेस सहित) में 71 प्रतिशत हिस्सा है और लैक्सेस के उत्पादन को हटाने के बाद 100 प्रतिशत है।
18. तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड: अन्य मुद्दे

गोपनीयता

ड: 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

19. घरेलू उद्योग व्यापार सूचना 10/2018 के तहत मानदंडों का उपयुक्त रूप से विश्लेषण करने में विफल रहा है, वह व्यापार सूचना 10/2018 के उल्लंघन में कुछ निर्धारित मानदंडों के वास्तविक आंकड़े देने में भी विफल रहा है।
20. घरेलू उद्योग व्यापार सूचना 10/2018 के तहत मानदंडों का उपयुक्त रूप से विश्लेषण करने में विफल रहा है, वह व्यापार सूचना 10/2018 के उल्लंघन में कुछ निर्धारित मानदंडों के वास्तविक आंकड़े देने में भी विफल रहा है। घरेलू उद्योग को यह प्रवृत्ति, निष्पादन मानदंड और मार्च, 2020 के लिए वास्तविक मानते हुए आंकड़े, जो कि अब उपलब्ध हों, पुनः दायर करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

ड: 2. प्राधिकारी द्वारा जांच

21. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गयी सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

23. जहां तक अत्यधिक गोपनीयता के दावों का संबंध है, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की और संतुष्ट होने पर गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी। प्राधिकारी मानते हैं कि जो सूचना प्रकृति में गोपनीय है (उदाहरण के लिए क्योंकि उसको प्रकट करना प्रतिस्पर्द्धी के लिए काफी प्रतिस्पर्द्धी लाभकारी होगी अथवा क्योंकि इसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर अथवा उस व्यक्ति पर जिससे उस व्यक्ति ने वह सूचना प्राप्त की है, पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), अथवा किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई है, अच्छा कारण दर्शाए जाने पर प्राधिकारी द्वारा उसी प्रकार मानी जाएगी। वह सूचना उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जा सकती। हितबद्ध पक्षकार ने यह नहीं दर्शाया है कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लेकर कैसे दावा किया है।

24. जहां तक जांच की अवधि संबंधी सूचना के तर्क का संबंध है, वह घरेलू उद्योग द्वारा दायर कर दिया गया है। उसे हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट कर दिया गया है। प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम में जांच की पूरी अवधि की सूचना पर विचार किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

च. व्यापार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

25. बाजार अर्थव्यवस्था, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध सामानों की कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं।
- ii. तथापि, इस कारण उपयुक्त तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और इसलिए कि इस उत्पाद का समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। अतः आवेदक ने उपयुक्त लाभ मार्जिन जोड़ने सहित निर्मित

- उत्पादन लागत के आधार पर कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किए जाने का दावा किया है।
- iii. चूंकि यह स्थापित तथ्य है कि कोरिया कुम्हो (कोरिया में पीएक्स-13 का एक मात्र ज्ञात विनिर्माता) चीन जन. गण. से 4-एडीपीए की अपनी आवश्यकता ले रहा है, अतः कोरिया की 4-एडीपीए की कीमत सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए नहीं अपनाई जा सकती।
 - iv. निर्दिष्ट प्राधिकारी तभी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-1 के पैरा 1-6 का पालन करेगा, यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागतें और कीमत संबंधी सूचना ऐसी है कि अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सके। यदि उत्तरदाता चीनी कंपनियां यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागतों एवं कीमत संबंधी सूचना अपनाई जा सकती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन के दावे को रद्द कर देंगे।
 - v. चूंकि चीनी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए पात्र नहीं हैं, अतः अनुबंध-1 का पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है।
 - vi. चूंकि सामान्य मूल्य इस कारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः आवेदक भारत में विधिवत समायोजित देय कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा करता है।
 - vii. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए वास्तविक उत्पादन लागत पर विचार करना चाहिए। सामान्य मूल्य किसी भी मानक पर आधारित नहीं होना चाहिए – चाहे वह कच्ची सामग्री के लिए हो अथवा सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय परिवर्तन लागतों के लिए हो।
 - viii. चूंकि लैंक्सेस यूएसए लैंक्सेस इंडिया को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहा है, अतः यह संबद्ध पक्षकार का लेन-देन है और इसलिए इन लेन-देनों की निर्यात कीमत पर निर्यात कीमत निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता। निर्यात कीमत लैंक्सेस इंडिया की पुनः बिक्री कीमत से निर्मित किए जाने की आवश्यकता है।
 - ix. संबद्ध देशों से निर्यात कीमत निम्नलिखित खर्चों के लिए समायोजित की गई है जो संबद्ध देशों के निर्यातकों ने भारत को निर्यात करने के लिए अर्थात् समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, वैट (केवल चीन के मामले में), अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार पर खर्च की है।
 - x. इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए पुनः बिक्री कीमत, लाभ, एसजीए खर्चों में हिस्सा, आगे प्रसंस्करण अनुमान, पैकिंग लागत, पत्तन से फैक्ट्री तक भाड़ा व्यय, उतार प्रभार और सीमा शुल्क के लिए भी समायोजित की गई है।
 - xi. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन कारखानागत स्तर पर निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तरों से अधिक, काफी तथा अधिक हैं।

च.2. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

26. यह अनुरोध किया गया है कि पाटन मार्जिन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर और कच्ची सामग्री की वास्तविक खरीद कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। कच्ची सामग्री की खपत कीमत को रद्द करना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के उल्लंघन में होगा। इस तथ्य कि चीनी उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां हैं, का अभिप्राय यह नहीं है कि खरीद कीमत रद्द की जा सकती है। पूर्व जांच में 4-एडीपीए की वास्तविक लागत को रद्द करना मानने का सेसटेट का निर्णय संगत नहीं है क्योंकि यह डब्ल्यूटीओ के न्याय के विरुद्ध है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

27. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
 - (ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

28. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके में सूचना उपलब्ध कराएं। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर दायर कर इस जांच में सहयोग किया है:

- i. मैसर्स लैक्सेस कारपोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका
- ii. मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड
- iii. मैसर्स सेनिक्स कं, लिमिटेड शानडोंग, चीन जन. गण.
- iv. मैसर्स सेनिक्स कंपनी लिमिटेड, ताइवान, चीन जन. गण.
- v. मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड
- vi. मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका
- vii. मैसर्स सेनिक्स कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
- viii. मैसर्स पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, कोरिया

29. संबद्ध देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

च.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण**कोरिया में सामान्य मूल्य****कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि. ("केकेपीसी") अथवा ("कुम्हो")**

- 30. मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि. ("केकेपीसी") कोरियाई वाणिज्यिक कानून के तहत स्थापित एक सीमित दायित्व कंपनी है। कंपनी ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।
- 31. इस उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स केकेपीसी ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही संबद्ध सामान की बिक्री की है। यह भी नोट किया जाता है कि केकेपीसी ने भारत को सीधे ही तथा एक असंबद्ध

कोरियाई व्यापारी अर्थात् पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। मैसर्स पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन ("पोस्को") ने भी निर्धारित प्रश्नावली प्रपत्र में सभी संगत सूचनाएं दी हैं।

सामान्य मूल्य

32. मैसर्स केकेपीसी ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री तथा बिक्री लागत के ब्यौरे प्रस्तुत करते हुए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। जांच की अवधि के दौरान मैसर्स केकेपीसी ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही संबद्ध सामानों की बिक्री की है।
33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 4-एडीपीए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में एक प्रमुख कच्ची सामग्री है। याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग और कुम्हो द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि 4-एडीपीए में पीएक्स-13 की कुल उत्पादन लागत का काफी भाग है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 4-एडीपीए का उत्पादन केवल चीनी तथा भारतीय उत्पादक द्वारा किया जा रहा है। उत्तरदाता उत्पादक द्वारा दी गई सूचना यह दर्शाती है कि कुम्हो ने चीन जन. गण. से 4-एडीपीए लिया है। चीनी उत्पादकों द्वारा दायर प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि उन्होंने अपना 4-एडीपीए उत्पादित किया है। चीन जन. गण. के उत्तरदाता उत्पादकों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कुम्हो द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई सूचना/ साक्ष्य नहीं दिया गया है कि 4-एडीपीए की खरीद कीमत उपयुक्त रूप से पीएक्स-13 के उत्पादन से जुड़ी लागत को उपयुक्त रूप से दर्शाती है। इसके मद्देनजर, यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी से केकेपीसी द्वारा 4-एडीपीए की वास्तविक खरीद कीमत का प्रयोग पीएक्स-13 (6 पीपीडी) के उत्पादन से जुड़ी लागत उपयुक्त रूप से नहीं दर्शाएगी। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में जांच की अवधि के दौरान बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को 4-एडीपीए के कोई आयात नहीं हैं।
34. अतः प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी से केकेपीसी द्वारा 4-एडीपीए की वास्तविक खरीद कीमत का प्रयोग पीएक्स-13 (6 पीपीडी) से जुड़ी लागत उपर्युक्त रूप नहीं दर्शाएगी और इसीलिए कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स द्वारा सूचित 4-एडीपीए की खपत कीमत उत्पादन लागत के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं अपनाई जा सकती। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच में जांच की अवधि के दौरान बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को 4-एडीपीए के कोई आयात नहीं हैं। तथापि, जांच प्रक्रिया के दौरान भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को 4-एडीपीए की निर्यात कीमत हितवद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और उसे अनंतिम रूप से जांच की अवधि के दौरान 4-एडीपीए की विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय कीमत के रूप में स्वीकार किया गया है तथा विचाराधीन उत्पाद के लिए कुम्हो की उत्पादन लागत तदनुसार संशोधित की गई है। कुम्हो द्वारा दावा किए गए अनुसार पीएक्स-13 की शेष उत्पादन लागत आगे सत्यापन होने तक अनंतिम रूप से स्वीकार की गई है। इस प्रकार निर्मित पीएक्स-13 (6 पीपीडी) की संशोधित बिक्री लागत साधारण व्यापार प्रक्रिया ("ओसीटी") परीक्षण के लिए हिसाब में ली गई है।
35. उपर्युक्तानुसार, अनंतिम रूप से निर्धारित बिक्री लागत के आधार पर प्राधिकारी ने साधारण व्यापार प्रक्रिया ("ओसीटी") की है जो यह दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान की गई 80 प्रतिशत से कम घरेलू बिक्री लाभप्रद थी। तदनुसार, लाभप्रद घरेलू बिक्री पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स केकेपीसी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में केआरडब्ल्यू *** प्रति कि.ग्रा. (***) अमेरिकी डॉलर प्रति कि.ग्रा.) की औसत बीजक कीमत पर संबद्ध सामानों के *** मी. टन की बिक्री की है।
36. मैसर्स केकेपीसी ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग लागत और व्यापार के स्तर के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केकेपीसी ने प्रस्तुत निर्यात प्रश्नावली के उत्तर में व्यापार समायोजन के स्तर को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त साक्ष्य नहीं दिए हैं। व्यापार समायोजन के स्तर पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया गया है। केकेपीसी द्वारा किए गए अन्य समायोजनों का दावा कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य मूल्य**i. लैक्सेस कारपोरेशन**

37. मैसर्स लैक्सेस कारपोरेशन ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। मैसर्स लैक्सेस कारपोरेशन, सहयोगी उत्पादक और संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातक द्वारा दायर आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि उन्होंने द्रव रूप में अपने संबद्ध पक्षकार लैक्सेस इंडिया को भारत में सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। यह भी नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध पक्षकार ने सामग्री को केवल टुकड़े रूप में बेचा है और इसीलिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के प्रयोजन के लिए टुकड़े से टुकड़े की तुलना करना उपयुक्त माना जाता है। प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई है और यह नोट किया जाता है कि उत्तरदाता ने संबंधित परिशिष्ट में संबद्ध सामानों की घरेलू बिक्री कीमत के व्यौरे दिए हैं। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि उत्तर में कई कमियां हैं, अतः प्राथमिक निर्धारण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से पर्याप्त सूचना है। अतः आगे की जांच होने तक प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा दायर सूचना के आधार पर निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करना उपयुक्त माना है और जहां तक तथ्य उपलब्ध हैं, निर्यातक ने संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। यह नोट किया जाता है कि मैसर्स लैक्सेस कारपोरेशन, यूएसए ने घरेलू बाजार में संबद्ध सामानों के *** मी. टन की बिक्री की है। इस *** मी. टन में से *** मी. टन द्रव है और शेष *** मी. टन बाजार में टुकड़ों में है। उनके उत्तर के आधार पर, यह नोट किया जाता है कि उनकी घरेलू बिक्री घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की साधारण प्रक्रिया की है। यदि लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक हैं तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देनों पर विचार किया है। जहां लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। व्यापार परीक्षण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है क्योंकि यह देखा जाता है कि 20 प्रतिशत से अधिक बिक्री उत्पादन लागत से कम है।
38. कारखानागत सामान्य मूल्य निकालने के लिए प्राधिकारी ने उत्तरदाता उत्पादक की बीजक कीमत से अंतर्देशीय भाड़ा और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों (अमेरिकी डॉलर/मी. टन में) पर विचार किया है। तदनुसार, कारखानागत सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

ii. संयुक्त राज्य अमेरिका में असहयोगी निर्यातक

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए प्राधिकारी तथ्यों और सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से निर्धारित करते हैं और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

चीन में सामान्य मूल्य**चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति**

40. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
41. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
42. तदनुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है।
- चीन जन. गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य**
43. चूंकि, चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने अपने आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य,

आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

44. उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की कीमत तथा निर्मित मूल्य अथवा उस तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमतें न तो आवेदक द्वारा और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और न ही प्राधिकारी के पास किसी सार्वजनिक स्रोत से उपलब्ध हैं, इस प्रकार सामान्य मूल्य लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित, भारत में प्रदत्त एवं देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है जो बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उपयुक्त लाभ के लिए जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।

च.5 निर्यात कीमत का निर्धारण

कोरिया गणराज्य

कुम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लि.

45. जांच की अवधि के दौरान, मैसर्स केकेपीसी ने भारत को सीधे ही तथा असंबद्ध कोरियाई व्यापारी अर्थात् पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से केकेपीसी को संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। मैसर्स केकेपीसी और मैसर्स पोस्को ने अपेक्षित प्रपत्र में सभी संगत सूचनाएं दी हैं। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मैसर्स केकेपीसी ने भारत को 4597 मी. टन का निर्यात केआरडब्ल्यू *** प्रति कि.ग्रा. (***) अमेरिकी डॉलर प्रति कि.ग्रा.) की औसत बीजक कीमत पर किया है।
46. मैसर्स केकेपीसी ने अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, पत्तन एवं अन्य संबद्ध खर्चों, विदेशी बीमा, सीमा शुल्क दलाल शुल्क, कमीशन खर्च, पैकिंग व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभार और शुल्क वापसी के निमित्त समायोजनों का दावा किया है तथा प्राधिकारी द्वारा शुल्क वापसी को छोड़कर उसकी अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

कोरिया से असहयोगी निर्यातकों के लिए

47. कोरिया से किसी भी अन्य निर्यातक के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आगे की जांच होने तक अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में सूचित किए गए अनुसार और उत्तरदाता उत्पादक एवं निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार आयातों पर अनंतिम रूप से विचार किया है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

लैंक्सेस कारपोरेशन

48. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया कि जांच की अवधि के दौरान उन्होंने भारत में अपने संबद्ध पक्षकार को सीधे ही *** मी. टन का निर्यात किया। भारत में संबद्ध आयातक ने संबद्ध सामानों के द्रव रूप को टुकड़े रूप में परिवर्तित किया है और इसीलिए प्राधिकारी ने परिवर्तन लागत के निमित्त आवश्यक

समायोजन किए हैं। चूंकि, उनकी संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत से कम है, जिसमें आयात कीमतें और परिवर्तन लागत शामिल है, अतः उनकी पहुँच कीमत और निवल निर्यात कीमत से उपयुक्त समायोजन किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अंतर्देशीय भाड़ा, विदेशी भाड़ा, समुद्री भाड़ा, ऋण लागत और अंतर्देशीय परिवहन के निमित्त सत्यापन के अध्यक्षीन निर्यातक द्वारा दावा किए गए समायोजन को अनंतिम रूप से स्वीकार किया है। तदनुसार, निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है। निर्धारित निर्यात कीमत ठोस एवं पैकड सामग्री के संबंध में लैंक्सेस यूएसए की कारखानागत निर्यात कीमत के रूप में मानी गई है। अतः उसकी तुलना लैंक्सेस यूएसए द्वारा बेची गई ठोस एवं पैकड सामग्री के सामान्य मूल्य से की गई है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में असहयोगी निर्यातकों के लिए

49. संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी निर्यातक के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में सूचित तथा उत्पादक एवं निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर में सूचित किए गए अनुसार आयातों पर अनंतिम रूप से विचार किया है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

चीन जन. गण.

सेनिक्स कं. लि., शानडोंग, चीन. जन. गण. (उत्पादक), सेनिक्स कं. लि., शंघाई, चीन जन. गण. (निर्यातक), मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका (निर्यातक) और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लि., सिंगापुर (निर्यातक) की निर्यात कीमत

50. सेनिक्स कं. लि., शानडोंग (जिसे यहां बाद में "सेनिक्स शानडोंग" अथवा "कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) चीनी कानून के तहत चीन में निगमित एक सीमित दायित्व कंपनी है। सेनिक्स शानडोंग, सेनिक्स कं. लि. ("सेनिक्स शंघाई") के 100 प्रतिशत स्वामित्व में है।
51. यह नोट किया जाता है कि सेनिक्स कं. लि., शानडोंग, चीन. जन. गण. (उत्पादक) और सेनिक्स कं. लि., ताइवान (उत्पादक), चीन जन. गण. ने अपनी संबद्ध कंपनियों अर्थात् सेनिक्स कं. लि., शंघाई, चीन जन. गण., सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लि., सिंगापुर और सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। अपने प्रश्नावली के उत्तर में, मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शानडोंग और मैसर्स सेनिक्स कं. लि., ताइवान, चीन जन. गण. ने घोषित किया है कि इन कंपनियों ने मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शंघाई, चीन जन. गण. के माध्यम से भारत को उनके द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।

सेनिक्स कं. लि., शानडोंग, चीन. जन. गण. (उत्पादक)

सेनिक्स कं. लि., शानडोंग, चीन. जन. गण. (उत्पादक), सेनिक्स कं. लि., शंघाई, चीन जन. गण. (निर्यातक), मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका (निर्यातक) और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लि., सिंगापुर (निर्यातक) की निर्यात कीमत

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शानडोंग, चीन. जन. गण. ने मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शंघाई के माध्यम से भारत को जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का *** मी. टन निर्यात किया है जिसमें से मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शंघाई ने भारत को सीधे ही *** मी. टन का निर्यात किया है, भारत को *** मी. टन और *** मी. टन का निर्यात क्रमशः मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लि., सिंगापुर के माध्यम से किया गया है।
53. यह नोट किया गया है कि सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लि., सिंगापुर ने भारत को विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री में हानियां सूचित की हैं। सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लि., सिंगापुर द्वारा दर्शाई गई हानियों की सीमा तक निर्यात कीमत समायोजित की गई है।

54. प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर भारित औसत निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन एवं अन्य संबद्ध खर्चों, ऋण एवं बैंक प्रभार के निमित्त समायोजन किए हैं। प्राथमिक जांच परिणामों के लिए किए गए दावों को दायर सूचना के सत्यापन के अध्यधीन स्वीकार किया गया है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

सेनिक्स कं. लि., ताइवान, चीन जन. गण. (उत्पादक)

सेनिक्स कं. लि., ताइवान, चीन. जन. गण. (उत्पादक), सेनिक्स कं. लि., शंघाई, चीन जन. गण. (निर्यातक), मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका (निर्यातक) की निर्यात कीमत

55. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मैसर्स सेनिक्स कं. लि., ताइवान, चीन. जन. गण. ने मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शंघाई के माध्यम से भारत को जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का *** मी. टन निर्यात किया है जिसमें से मैसर्स सेनिक्स कं. लि., शंघाई ने भारत को सीधे ही *** मी. टन का निर्यात किया है और भारत को *** मी. टन तथा *** मी. टन का निर्यात मैसर्स सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से किया गया है।
56. यह नोट किया गया है कि सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लि., सिंगापुर ने भारत को विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री में हानियां सूचित की हैं। सेनिक्स इंक., संयुक्त राज्य अमेरिका और मैसर्स सेनिक्स सिंगापुर पीटीई. लि., सिंगापुर द्वारा दर्शाई गई हानियों की सीमा तक निर्यात कीमत समायोजित की गई है।
57. प्राधिकारी ने कारखानागत स्तर पर भारित औसत निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन एवं अन्य संबद्ध खर्चों, ऋण एवं बैंक प्रभार के निमित्त समायोजन किए हैं। प्राथमिक जांच परिणामों के लिए किए गए दावों को दायर सूचना के सत्यापन के अध्यधीन स्वीकार किया गया है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

चीन जन. गण. के असहयोगी निर्यातकों के लिए

58. चीन के किसी भी निर्यातक के संबंध में निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आगे की जांच होने तक अनंतिम रूप से निर्धारित की गई है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में सूचित तथा उत्पादक एवं निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर में सूचित किए गए अनुसार आयातों पर अनंतिम रूप से विचार किया है। निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

च.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण

59. यह नोट किया जाता है कि विषयगत जांच में कई सहयोगी उत्पादक तथा निर्यातक एक-दूसरे से संबद्ध हैं तथा संबद्ध कंपनियों का एक समूह बनते हैं। प्राधिकारी की यह सतत् परिपाटी रही है कि वे संबद्ध निर्यातक उत्पादकों तथा निर्यातकों को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एक एकल कंपनी मानें और इस प्रकार उनके लिए एकल पाटन मार्जिन स्थापित करें। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि अलग पाटन मार्जिन परिकलित करने से पाटनरोधी उपायों की प्रवंचना को प्रोत्साहन मिल सकता है जिससे वे अप्रभावी हो सकते हैं और जिससे संबद्ध निर्यातक उत्पादक न्यूनतम अलग पाटन मार्जिन से कंपनी के माध्यम से भारत को अपने निर्यातों का चैनल बना सकते हैं।
60. उपर्युक्त के अनुसार, चीन जन. गण. के संबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों को एकल कंपनी माना गया है और एकल पाटन मार्जिन दिया गया है जो सहयोगी संबद्ध उत्पादकों एवं निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर परिकलित किया गया था।
61. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन अनंतिम रूप से निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है:

पाटन मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य/ सीएनवी (अमे. डॉ./मी. टन)	निर्यात कीमत (अमे. डॉ./मी. टन)	पाटन मार्जिन अमे. डॉ./मी. टन	भारित औसत पाटन मार्जिन	भारित औसत पाटन मार्जिन %	रेंज
चीन जन. गण.	सेनिक्स कं. लि., शानडोंग	***	***	***	***	***	70-80
	सेनिक्स कं. लि., ताइवान	***	***	***	***	***	70-80
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	100-110
कोरिया गणराज्य	कुम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लि.	***	***	***	***	***	20-30
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	30-40
संयुक्त राज्य अमेरिका	लैक्सेस कारपोरेशन	***	***	***	***	***	10-20
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	10-20

छ. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

छ. 1. घरेलू उद्योग के अनुरोध

62. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं। वे निम्नानुसार हैं:

- क. संबद्ध देशों से सामान घरेलू उद्योग द्वारा समान सामानों के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसीलिए आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करना ही उपयुक्त है।
- ख. उत्पाद के लिए मांग 2017-18 में बढ़ी, 2018-19 में आंशिक रूप से घटी और जांच की अवधि में उसमें और गिरावट आई।
- ग. संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में पूर्ण दृष्टि से वृद्धि हुई और जब मांग में गिरावट के कारण पूर्व वर्ष से तुलना की गई तो जांच की अवधि में गिरावट आई। संबद्ध देशों से आयातों में तुलनात्मक दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- घ. संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं।
- ङ. संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में, लैक्सेस यूएसए भारत में अपने संबद्ध पक्षकार अर्थात् लैक्सेस इंडिया को निर्यात करता है और इसीलिए आवेदक की बिक्री कीमत पर घरेलू उद्योग द्वारा यूएसए से आयातों की पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए लैक्सेस इंडिया की पुनः बिक्री कीमत के रूप में विचार किया गया है।
- च. संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
- छ. क्षमताएं पूरी क्षति अवधि में स्थिर थीं और मालसूची में गिरावट आई। उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में जांच की अवधि में गिरावट आई।
- ज. घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री करने में असमर्थता के कारण हानियों में निर्यात किया।
- झ. संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।

- ज. लाभप्रदता में गिरावट आई और घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में काफी वित्तीय हानियों का सामना किया और इसके प्रभावस्वरूप पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता कमजोर हुई है।
- ट. नकद लाभ, पीबीआईटी, आरओसीई जांच की अवधि में नकारात्मक हैं। यह भी कोरिया तथा चीन से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने के कारण है।
- ठ. घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि में नकारात्मक है।
- ड. संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा पैदा करते हैं।
- ढ. पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं।
- ण. कीमत कटौती और कीमत ह्रास संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभाव के कारण हैं।
- त. आरओसीई, लाभ, नकद लाभ, घरेलू बिक्री और वृद्धि में गिरावट पाटित आयातों के परिणाम हैं।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि अर्थात् मार्च, 2020 के अंतिम माह के लिए वास्तविक आंकड़ों पर विचार नहीं किया है। इसके बजाए, क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया है। इसके परिणामस्वरूप, सबसे हाल की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग की याचिका में अपर्याप्त सूचना है। तदनुसार, उत्तरदाता माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे नोसिल को निर्देश दें कि वे पूरी जांच की अवधि के लिए आंकड़ों के साथ अद्यतन याचिका दें।
- ख. चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से पीएक्स-13 के आयात पर पाटनरोधी शुल्क 24 जुलाई, 2019 तक विद्यमान था। इस प्रकार, जांच की अवधि से पूर्व विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति इस प्रकार के लेवी के कारण नकारी गई होती।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हाल की अवधि अर्थात् जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में गिरावट है। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ता उद्योग मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण आयात करने के लिए मजबूर है।
- घ. चूंकि घरेलू उद्योग पूरी मांग को पूरा करने में असमर्थ है, जो कि क्षति की अवधि में बढ़ी है, अतः उसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई। इसी प्रकार, जब विचाराधीन उत्पाद की मांग में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा खुद ही स्वीकार किया गया है, तो उसके परिणामस्वरूप उस अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयातों में कमी आई।
- ङ. सापेक्ष दृष्टि से अधिकतम वृद्धि पाटनरोधी शुल्क की लेवी अर्थात् यूरोपीय संघ ("ईयू") वाले देशों से देखी जा सकती है जो कि वर्तमान जांच में संबद्ध देशों से कहीं अधिक है।
- च. क्षति की अवधि के दौरान कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक पहुँच मूल्य 48 प्रतिशत तक बढ़ा है जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि से कहीं अधिक है।
- छ. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग 2018-19 तक लगातार बढ़ा है। जांच की अवधि (क) के लिए दिए गए आंकड़े अनुमानित आंकड़ों पर आधारित हैं, अतः उनकी मार्च, 2020 के लिए वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पुष्टि की जानी चाहिए।
- ज. घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट अनुभव की गई है।
- झ. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में बढ़ा है।
- ञ. घरेलू उद्योग की ब्याज लागत और मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय जांच की अवधि (क) के दौरान बढ़े हैं।

- ट. भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आर्थिक मंदी के कारण विचाराधीन उत्पाद की मांग/ खपत में गिरावट थी। इस प्रकार, इन कारकों से वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है और घरेलू उद्योग को हानियों का संभावित कारण हो सकता है।
- ठ. निर्यात बिक्री से हानियां पाटनरोधी जांच में क्षति विश्लेषण का भाग नहीं हो सकती और उन्हें वर्तमान विश्लेषण में मानदंडों से अलग किया जाना चाहिए।
- ड. घरेलू उद्योग का प्रमुख अनुपात निर्यात बिक्री में उपयोग में लाया जाता है और यह घरेलू उद्योग को हुई हानियों, यदि कोई हैं, में योगदान करने का एक कारण है।
- ढ. जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की आयात मात्रा में वृद्धि भारत में घरेलू आपूर्ति के अभाव के कारण हो सकती है जो निर्यात बाजारों के प्रति घरेलू उद्योग के आकर्षण के कारण है।
- ण. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमतें विश्व भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण जांच की अवधि में गिरी हैं जिससे कच्ची सामग्री की लागत 40 प्रतिशत तक कम हुई है जिसे घरेलू उद्योग ने अपनी 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट में खुद ही स्वीकार किया है। तथापि, घरेलू बिक्री कीमत अब भी कच्ची सामग्री लागत में भारी कमी के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में 2018-19 में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाती है।
- त. अनुरोध है कि संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों को चीन और कोरिया से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण क्षति हो रही है। यह भी अनुरोध है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित संबद्ध सामान चीन और कोरिया की तुलना में काफी अधिक कीमत पर हैं और इसीलिए भारत में घरेलू उत्पादकों को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं।
- थ. घरेलू उद्योग पाटनरोधी एवं रक्षोपायों के माध्यम से 10 वर्षों से संरक्षण का दावा करता आ रहा है जिसके बावजूद वह मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है।
- द. संयुक्त राज्य अमेरिका से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग को संयुक्त राज्य अमेरिका के आयातों से कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि (क) संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात चीन तथा कोरिया से कीमतों पर हैं, (ख) आयात द्रव रूप में हैं, जिसे भारत में टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है, (ग) द्रव पीएक्स-13 का बहुत ही कम बाजार हिस्सा है, (घ) घरेलू उद्योग को कोरिया गणराज्य और चीन जन. गण. से आयातों के कारण हानियां और घाटे हो रहे हैं, (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात प्रतिस्पर्धी रहे हैं। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों को जांच से अलग किया जाना चाहिए।
- ध. घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 2018 में दायर पूर्व निर्णायक समीक्षा शुरू नहीं की गई थी क्योंकि क्षति की कोई संभावना नहीं थी और अनंतिम शुल्क उसकी प्रवंचना में होगा।
- न. शुल्क लगाना प्रयोक्ताओं को हित में पूर्वाग्रहयुक्त होगा।
- प. उत्पाद की कीमतें मंदी, बेहतर उपलब्धता, सीआईएफ कीमतों और इनपुट कीमतों में सामान्य गिरावट के कारण कम हुई हैं। ओईएम उद्योग में मंदी से प्रमुख टायर कंपनियों का क्षमता उपयोग प्रभावित हुआ है। घरेलू उद्योग की मूल्यह्रास लागत, ब्याज लागत, छोड़ने के अवसर की लागत में वृद्धि, ऑटो उद्योग में मांग में गिरावट आदि से लाभप्रदता में गिरावट आती है। साथ ही, घरेलू उद्योग क्षमता विस्तार की योजना बना रहा है।
- फ. कीमत कटौती की रेंज (15-25 प्रतिशत) रद्द एसएसआर जांच में रेंज से कम है।
- ब. आपूर्ति के अभाव के कारण आयात बड़े हैं। निर्यातोन्मुखता में वृद्धि हुई है जबकि क्षमता वही रही।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

64. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों तथा प्रति-तर्कों पर ध्यान दिया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का निम्नलिखित रूप में समाधान करता है।

छ.3.1 संचयी मूल्यांकन

65. नियमावली के अनुबंध-II पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यक्षीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि:
- प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन का मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और
 - आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है।
66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:
- संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन के मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक हैं।
 - प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा अलग-अलग आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।
 - आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात उनमें से प्रत्येक द्वारा पेश समान वस्तुओं के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्धा नहीं करते बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश समान वस्तुओं से भी करते हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग से खरीदने वाले उपभोक्ता भी संबद्ध देशों से आयात कर रहे हैं।
67. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त मानते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यहां तक कि यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातक ने द्रव रूप में उत्पाद की आपूर्ति की, तथापि संबद्ध आयातक द्वारा संभावित रूप से ठोस रूप में बिक्री की गई है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगा है और इसीलिए उसके पास उत्पाद को ठोस में परिवर्तित करने के लिए सभी सुविधाएं हैं। उपभोक्ताओं ने अंततः ठोस रूप में ही उत्पाद की खपत की है।
68. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**क. मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत**

69. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में विचार किया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	117	107	92
अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	113	108	83
संबद्ध देश	मी. टन	5,812	6,797	7,455	7,191
शुल्क लगाने वाले देश – यूरोपीय संघ	मी. टन	1,197	2,440	2,591	2,320
अन्य देश	मी. टन	0	0	10	312
कुल भारतीय मांग	मी. टन	21,130	25,577	25,184	22,411
	सूचीबद्ध	100	121	119	106

70. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामान के लिए मांग जांच की अवधि में आंशिक गिरावट के साथ क्षति की अवधि में बढ़ी है। संबद्ध सामानों की समग्र मांग में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात मात्रा में वृद्धि

71. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। वास्तविक स्थिति निम्नलिखितानुसार है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
संबद्ध देश	मी. टन	5,812	6,797	7,455	7,191
चीन	मी. टन	2,004	3,537	3,882	3,749
कोरिया	मी. टन	2,657	2,170	1,342	2,085
संयुक्त राज्य अमेरिका	मी. टन	1,152	1,090	2,231	1,357
शुल्क लगाने वाले देश – यूरोपीय संघ	मी. टन	1,197	2,440	2,591	2,320
अन्य देश	मी. टन	0	0	10	312
के संबंध में संबद्ध आयात					
उत्पादन	%	41.24	39.33	43.40	55.47
	सूचीबद्ध	100	95	105	135
खपत	%	27.51	26.57	29.60	32.09
	सूचीबद्ध	100	97	108	117

72. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में 2018-19 तक वृद्धि हुई है, परंतु जांच की अवधि के दौरान उनमें आंशिक गिरावट आई है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के समग्र आयातों में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में कुल भारतीय उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

73. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतें कम करने अथवा कीमत की वृद्धि रोकने के लिए अन्यथा है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण तथा कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

क) कीमत कटौती

74. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश के पाटित आयातों के कटौती प्रभाव निम्नलिखित रूप में आते हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
निवल बिक्री वसूली	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	131	132	104
चीन					
पहुँच कीमत	₹/कि.ग्रा.	138.36	197.85	192.47	168.21
कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	40-50	30-40	40-50	20-30
कोरिया					
पहुँच कीमत	₹/कि.ग्रा.	130.13	198.42	216.17	173.68
कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	60-70	30-40	20-30	20-30
संयुक्त राज्य अमेरिका					
पहुँच कीमत	₹/कि.ग्रा.	179.02	179.79	241.95	235.93
कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20	40-50	10-20	(0-10)
संबद्ध देश					
पहुँच कीमत	₹/कि.ग्रा.	142.66	195.13	211.54	182.58
कीमत कटौती	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	40-50	30-40	20-30	10-20

75. यह देखा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर आ रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है। संचयी आधार पर, संबद्ध देशों से कीमत कटौती मार्जिन सकारात्मक है।
76. जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात लैक्सेस इंडिया द्वारा किए गए हैं जिन्होंने द्रव रूप में सामग्री का आयात किया है, उसे ठोस रूप में प्रसंस्कृत किया है और उसके बाद उसे भारत में बेचा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से इस तथ्य के कारण कीमत कटौती नकारात्मक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातक अधिक कीमत पर भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करते हैं और भारतीय बाजार में उनके संबद्ध पक्षकारों की बिक्री कीमत उस कीमत लागत से कम है जिसमें द्रव पीएक्स-13 की आयात कीमतें और द्रव से भारतीय प्रयोक्ता के लिए टुकड़े में द्रव से परिवर्तन लागत शामिल है। इस प्रकार, उनकी पहुँच कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है। अतः, यह नोट किया जाता है कि डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों में रिकार्ड की गई आयात कीमत भारतीय बाजार में संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातकों की वास्तविक विद्यमान कीमत नहीं दर्शा रही है।

ख) कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी मात्रा तक न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया है। निम्नलिखित तालिका वास्तविक स्थिति दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि*
विक्रियों की लागत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	93	109	105
बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	131	132	104
पहुँच मूल्य (संबद्ध देश)	रु./कि.ग्रा.	143	195	212	183
	सूचीबद्ध	100	137	148	128

78. यह देखा जाता है कि:

- संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत से कम रही है।
- यहां तक कि यद्यपि लागत क्षति की अवधि में बढ़ी है, तथापि घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा है।
- जबकि लागतें 2017-18 में कम हुई हैं, आयात कीमत एवं बिक्री कीमत दोनों इस अवधि में काफी बढ़ी हैं।
- जबकि पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में बिक्री कीमत एवं लागतें दोनों में गिरावट आई, बिक्री कीमत में गिरावट लागतों में गिरावट से कहीं अधिक थी।

इस प्रकार, यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं।

ग) कम कीमत पर बिक्री

79. प्राधिकारी ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही कम कीमत पर बिक्री की क्षति की भी जांच की है। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित एनआईपी की तुलना आयातों की पहुँच कीमत से की गई है। संक्षेप में स्थिति निम्नलिखित है:

विवरण - जांच की अवधि	यूनिट	चीन जन. गण.	कोरिया गणराज्य	संयुक्त राज्य अमेरिका	संबद्ध देश
क्षतिरहित कीमत	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
पहुँच कीमत	₹/कि.ग्रा.	168.21	173.68	235.93	182.58
क्षति मार्जिन/कम कीमत पर बिक्री	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	%, रेंज	50-60	50-60	10-20	40-50

80. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कम कीमत पर बिक्री की क्षति हुई है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

81. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।
82. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जांच की है।

ग. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

83. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	128	129	97
क्षमता उपयोग	%	65	83	84	63
	सूचीबद्ध	100	128	129	97
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	117	107	92
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	74	95	91

84. यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं क्षमता उपयोग 2018-19 तक बढ़ा है और फिर उसमें जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है।
- ख. जबकि जांच की अवधि में मांग सकारात्मक थी, जांच की अवधि में उत्पादन और क्षमता उपयोग आधार वर्ष से निम्न स्तर पर थे।
- ग. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में उत्पादन की प्रवृत्ति की तरह ही दर्शाई है। घरेलू बिक्री 2017-18 में बढ़ी और फिर जांच की अवधि में उसमें काफी गिरावट आई। जांच की अवधि में बिक्री आधार वर्ष से नीचे के स्तर पर थी।
- घ. समग्र रूप से, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ङ. घरेलू उद्योग में मालसूची में 2017-18 में गिरावट आई, परंतु उसके बाद उसमें वृद्धि हुई। तथापि, मालसूची में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

85. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि*
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	97	90	87
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	93	90	78
संबद्ध देश	%	27.51	26.57	29.60	32.09
चीन	%	9.48	13.83	15.42	16.73
कोरिया	%	12.57	8.48	5.33	9.30
संयुक्त राज्य अमेरिका	%	5.45	4.26	8.86	6.06
शुल्क लगने वाले देश – यूरोपीय संघ	%	5.66	9.54	10.29	10.35
अन्य देश	%	-	0.00	0.04	1.39

86. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की पूरी अवधि में निरंतर गिरावट आई है। संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

iii. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

87. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे तालिका में दिए गये हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि*
लाभ/हानि	₹/कि.ग्रा.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	252	104	-118
लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	296	111	-109
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	331	123	-118

नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	346	134	-111
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	308	120	-142

88. यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग को 2016-17 में वित्तीय हानियां हो रही थीं। लागतों में गिरावट और कीमतों में वृद्धि से घरेलू उद्योग ने 2017-18 में लाभ कमाया जिसमें 2018-19 में और फिर जांच की अवधि में गिरावट आई। जांच की अवधि में लाभप्रदता में गिरावट काफी अधिक थी और घरेलू उद्योग को एक बार फिर जांच की अवधि में वित्तीय हानियां हुईं।
- ख. नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय में लाभ की तरह वही प्रवृत्ति रही। नकद लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में पहले 2017-18 में सुधार हुआ और उसके बाद जांच की अवधि काफी गिरावट आई। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में नकद हानियां, नकारात्मक पीबीआईटी और निवेश पर आय की क्षति हुई।

iv. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

89. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि*
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	95	95	95
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	128	129	97
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	89	79	71

90. यह देखा जाता है कि:

- क. रोजगार स्तर पिछले तीन वर्षों में स्थिर रहे हैं।
- ख. प्रति दिन उत्पादकता 2018-19 तक निरंतर बढ़ी, परंतु जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई।
- ग. प्रदत्त मजदूरी में पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई है।

91. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मानदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

v. वृद्धि

92. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि 2017-18 में सकारात्मक थी और उसके बाद जांच की अवधि में काफी गिरावट के साथ नकारात्मक हो गई:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	वर्ष/वर्ष	22	1	(33)
घरेलू बिक्री	वर्ष/वर्ष	15	(10)	(15)

विक्रियों की लागत	वर्ष/वर्ष	(8)	14	(3)
बिक्री कीमत	वर्ष/वर्ष	24	1	(27)
लाभ/हानि	वर्ष/वर्ष	66	0	(2)
नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	71	(158)	(20)
आरओसीई	वर्ष/वर्ष	27	(24)	(33)

vi. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

93. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है जिसने उसकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को कमजोर किया है।

vii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

94. यह देखा जाता है कि आयात कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे ही प्रभावित कर रही हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत एवं बिक्री कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार में अपनी कीमतें बनाए रखने में असमर्थ है। आयातों की कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों का काफी मात्रा तक न्यूनीकरण हुआ है। तीसरे देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क है अथवा वे न्यूनतम स्तरों पर हैं अथवा अधिक कीमतों पर हैं। पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। अतः अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयात हैं।
95. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों पर ध्यान दिया है। प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
96. जहां मांग-आपूर्ति अंतराल के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि संभावित मांग-आपूर्ति अंतराल घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटित आयातों के विरुद्ध समाधान की मांग करने से वंचित नहीं कर सकता। यदि निर्यातक भारतीय बाजार में आवश्यकता पूरी करना चाहते हैं तो वह अपाटित कीमत पर आवश्यकताएं पूरा करके किया जा सकता है। यह भी अनंतिम रूप से नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात बाजार में अत्यधिक प्रतिकूल है। यह सिद्ध नहीं है कि घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्री में निर्यात को प्राथमिकता दी। इसके अतिरिक्त, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग वर्तमान जांच की अवधि में काफी कम हुआ है।
97. जहां तक घरेलू उद्योग के क्षति पहुँचाने वाले निर्यातों के तर्क का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन का उसके घरेलू प्रचालनों के संबंध में ही विश्लेषण किया गया है। निर्यातों में हुई हानियां अलग की गई हैं और उन पर वर्तमान जांच परिणाम में विचार नहीं किया गया है।
98. जहां तक कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर कच्ची सामग्री की वास्तविक कीमतों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कच्ची सामग्री की कीमतों में इन गिरावटों के बावजूद काफी गिरावट आई।
99. यह देखा जाता है कि लाभप्रदता में गिरावट की मात्रा ब्याज तथा मूल्यहास लागतों में वृद्धि के कारण नहीं है। यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में ब्याज पूर्व लाभ (आरओआई) तथा मूल्यहास पूर्व लाभ (नकद लाभ) के संबंध में गिरावट आई।
100. मांग में गिरावट के संबंध में यह देखा जाता है कि जबकि उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आई, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आई।

101. जहां तक पूर्व पाटनरोधी शुल्क और उसके कारण क्षति के अभाव का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति पर विचार किया है।
102. हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना प्रयोक्ताओं के हितों के प्रति पूर्वाग्रहयुक्त नहीं होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है।
103. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सतत् शुल्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में उत्पाद पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं है। वस्तुतः प्राधिकारी ने इस आधार पर पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की पूर्व में सिफारिश की थी कि घरेलू उद्योग को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग से संबंधित सूचना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को एक बार फिर संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों द्वारा हुए काफी कीमत न्यूनीकरण के कारण क्षति हो रही है।

viii. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन की मात्रा

104. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों तथा प्रैक्टिसिंग लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए कच्ची सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग और यूटिलिटियों पर क्षति की अवधि में विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से अलग किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्तियाँ एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी और उसे अपनाया जा रहा है।
105. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत पाटन मार्जिन निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्धारित सीआईएफ निर्यात कीमत से निर्धारित की गई है। लागू सीमा शुल्क आयातों की पहुँच कीमत निर्धारित करने के लिए शामिल किए गए हैं। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।
106. जैसा कि इस अनंतिम जांच परिणाम में पाटन मार्जिन विश्लेषण में उल्लेख किया गया है, लैंक्सेस कारपोरेशन, यूएसए (उत्पादक/निर्यातक) द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया जाता है कि उनके भारत में संबद्ध प्रयोक्ता/आयातक लैंक्सेस इंडिया को टुकड़े रूप में संबद्ध सामानों की बिक्री के दौरान हानि हुई है। चूंकि टुकड़े रूप में संबद्ध सामानों की उनकी बिक्री कीमत लागत कीमत से कम है जिसमें द्रव पीएक्स-13 की आयात कीमतें और द्रव से टुकड़े में परिवर्तन लागत शामिल है, अतः उनकी पहुँच कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है।
107. उपर्युक्त निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

देश	उत्पादक	क्षति रहित कीमत (अमे. डॉ./मी. टन)	पहुँच मूल्य (अमे. डॉ./मी. टन)	क्षति मार्जिन अमे. डॉ./मी. टन	क्षति मार्जिन भारत	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
चीन जन. गण.	सेनिक्स कं. लि., शानडोंग	***	***	***	***	***	50-60
	सेनिक्स कं. लि., ताइवान	***	***	***	***	***	50-60
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	80-90
कोरिया गणराज्य	कुम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लि.	***	***	***	***	***	40-50

	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	50-60
संयुक्त राज्य अमेरिका	लैक्सस कारपोरेशन	***	***	***	***	***	0-10
	अन्य उत्पादक और निर्यातक	***	***	***	***	***	0-10

छ.3.5 क्षति संबंधी निष्कर्ष

108. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से तथा तुलनात्मक दृष्टि से बढ़ी है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में काफी ह्रास हुआ है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है। इनके मद्देनजर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण

109. प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक की जांच की जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाते आ रहे हों ताकि इन अन्य कारकों, यदि कोई हैं, से क्षति पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में, जो संगत कारक हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

क) पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा मूल्य

110. अन्य देशों से आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लग रहा है अथवा न्यूनतम स्तरों पर है। इस प्रकार, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले प्रतीत नहीं होते।

ख) मांग में संकुचन

111. यद्यपि समग्र मांग में वृद्धि हुई है, तथापि जांच की अवधि में मांग में गिरावट आई है। तथापि, जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं है।

ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

112. विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

113. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच में यह नहीं आया है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।

ड) प्रौद्योगिकी में विकास

114. प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तनों की मौजूदगी, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

115. प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों हेतु आंकड़ों पर विचार किया है। अतः निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है। तथापि, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह घरेलू बाजार से उत्पाद के लिए मांग के अभाव के कारण भी निर्यात के लिए मजबूर है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

116. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के क्षतिकारक आंकड़े दिए हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए अपनाया गया है। अतः आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

117. प्राधिकारी अनंतिम रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण जांच की अवधि में क्षति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कारक दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध पाटित आयातों के कारण है:
- (i) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमत की हैं।
 - (ii) आयातों के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन लागत से कम कीमत पर उत्पाद को बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास हुआ है।
 - (iii) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण प्रतिकूल मात्रात्मक एवं कीमत प्रभाव के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में वित्तीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है।
 - (iv) कीमत कटौती से आयातों में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है।
 - (v) घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से, उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
118. इस प्रकार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध सामानों के पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क मौजूद है।

झ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

119. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्द्धा पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के ग्राहकों को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी दशा में संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ज. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

120. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकार्ड में तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:
- (i) संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किए गए हैं।
 - (ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
 - (iii) घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

121. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के बारे में जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए जांच पूरी होने तक अनंतिम शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।
122. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी कमतर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए पहुँच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	3812, 2921, (नोट 1)	रबर केमिकल पीएक्स 13 (नोट 2)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	सेनिक्स कं. लि., शानडोंग	1,235.99	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	सेनिक्स कं. लि., ताइवान	1,235.99	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
3	- वही -	- वही -	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित के अलावा कोई उत्पादक	1,570.34	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
4	- वही -	- वही -	पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देश के अलावा कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	1,570.34	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
5	- वही -	- वही -	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	कुम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लि.	532.06	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
6	- वही -	- वही -	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	क्रम संख्या 5 में उल्लिखित के अलावा कोई उत्पादक	697.18	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
7	- वही -	- वही -	पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देश के अलावा कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई	697.18	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

8	- वही -	- वही -	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई देश	लैक्सेस कारपोरेशन	81.76	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
9	- वही -	- वही -	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई देश	क्रम संख्या 8 में उल्लिखित के अलावा कोई उत्पादक	195.56	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
10	- वही -	- वही -	पाटनरोधी शुल्क लगने वाले देश के अलावा कोई देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई	195.56	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

टिप्पणी-1 – ऊपर उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है।

टिप्पणी-2 – विचाराधीन उत्पाद का विवरण "रबर केमिकल पीएक्स-13" (जिसे यहां आगे पीएक्स-13 भी कहा गया है) है जिसे 6पीपीडी, एंटीऑक्सीडेंट 6पीपीडी, कुमानोक्स 13, सेंटोफ्लेक्स 6पीपीडी, सिरनटोक्स 6पीपीडी, वुल्कानोक्स 4020, एंटीऑक्सीडेंट 4020, दुसानटोक्स 6पीपीडी, एंटेज 6सी, एन-1.3, 3-डिमिथाइलबुटाइल-एन-फिनाइल-पी-फिनाइलेनेडायमीन है।

ट. आगे की प्रक्रिया

123. प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- (क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इस प्रारंभिक जांच परिणाम टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और यदि वे प्राधिकारी द्वारा संगत मानी जाती हैं तो अंतिम जांच परिणाम में उन पर विचार किया जाएगा।
- (ख) घरेलू उद्योग, निर्यातक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार जो संबंधित जाने जाएं, को प्राधिकारी द्वारा अलग से पत्र भेजा जा रहा है जो इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने ज्ञात विचार दे सकते हैं।
- (ग) अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने ज्ञात विचार दे सकते हैं।
- (घ) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच से संगत अपने विचार देने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु नियम 6(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे। मौखिक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों और चिंताओं की अंतिम जांच परिणामों में जांच की जाएगी।
- (ङ) मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर घोषित की जाएगी।
- (च) प्राधिकारी आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक आगे सत्यापन करेंगे।
- (छ) प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम घोषित करने से पूर्व नियमावली के अनुसार अनिवार्य तथ्य प्रकट करेंगे।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

PRELIMINARY FINDINGS NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2020

Case No. AD-OI-17/2020

Subject : Anti-dumping Investigation concerning imports of “Rubber Chemical PX-13” from China PR, Korea RP and USA - Preliminary Findings

F. No. 6/20/2020-DGTR.—

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s NOCIL Limited (hereinafter referred as “Applicant”) has filed an application, through TPM Consultants, before the Designated Authority in accordance with the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the “Anti-Dumping Rules” or “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation concerning the imports of Rubber Chemical PX-13 (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from China PR, Korea RP and United States of America (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. The Authority, on the basis of a prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 06/20/2020-DGTR dated 27th May, 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 27th May, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning import of subject goods from subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 27th May, 2020, to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.
 - e. The Embassies of the subject countries in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/ exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

- f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their response as well as submissions. Vide communication dated 30th June, 2020, the time was extended upto 24th July 2020. Vide communication dated 23rd July, 2020, the time was extended upto 7th August, 2020.
- g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. China Sunsine Chemical Holdings Ltd.
 - ii. Sennics Co., Ltd. – Sinochem International (Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd.)
 - iii. Shandong Yanggu Huatai Chemical Co. Ltd.
 - iv. Changde Dingyuan Chemical Industrial Limited
 - v. Dongying Bo Chen Chemical Co. Ltd.
 - vi. Jinan Runguan Chemical Co. Ltd.
 - vii. Nanjing Chemical Plant (NCP)
 - viii. Zhejiang Yongjia Chemical Plant
 - ix. Henan Kailun Chemical Co., Ltd.
 - x. Rongcheng Chemical General Factory Co. Ltd.
 - xi. Dalian Richon Chem Co., Ltd.
 - xii. Zhenjiang No. 2 Chemical Factory
 - xiii. Hebei Haufeng Chemical Group
 - xiv. Shenzhen Huaren Industrial Co.
 - xv. Yixing Dongfang Fince Chemicals
 - xvi. Zhejina Yueging Ultrafine Powders & Chemicals Co. Ltd.
 - xvii. Lion Industries Ltd.
 - xviii. Linkwell Rubber Chemicals Co. Ltd.
 - xix. Kemai Chemical Co. Ltd.
 - xx. Hebi Huaxia Auxiliary Co., Ltd.
 - xxi. Qingdao Zhongjian Rubber Chemicals Co. Ltd.
 - xxii. Northeast Auxiliary Chemical Industry Co. Ltd.
 - xxiii. Puyang Willing Chemicals Co. Ltd.
 - xxiv. Zhejiang Huangyan Zhedong Rubber Auxiliary Co. Ltd.
 - xxv. Dongying Wantong Rubber Auxiliary Co. Ltd.
 - xxvi. The Organic Chemical Industry Limited, Company of Tongling Chemical Industry Group
 - xxvii. Shangyu Lixing Chemical Co. Ltd.
 - xxviii. Tianjin East Richon Rubber Additives Co. Ltd.
 - xxix. Donglong Industry Limited, Company of Jiangsu
 - xxx. Jincheng Sky Success Chemical Industry Co. Ltd.
 - xxxi. Hebei Hanxing Chemical Co. Ltd.
 - xxxii. Jingcheng Tiancheng Chemical Co.
 - xxxiii. Hebi Uhoo Rubber Chemicals co. Ltd.
 - xxxiv. Kumho Petrochemicals Co. Ltd.

- xxxv. Daewoo International Corporation
- xxxvi. Lanxess Corporation USA
- h. In response to the above notification, following exporters/ producers and their related exporters/traders have responded and submitted exporter's questionnaire responses:
 - i. Lanxess Corporation USA (Lanxess)
 - ii. Kumho Petrochemical Co. Ltd. Korea RP (Kumho)
 - iii. Sennics Co., Ltd. Shandong, China PR
 - iv. Sennics Co., Ltd. Tai'an, China PR
 - v. Sennics Singapore Pte. Ltd.
 - vi. Sennics Inc., USA
 - vii. Sennics Co., Ltd., China PR
 - viii. Posco International Cooperation, Korea (Posco)
- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. Lanxess India P Ltd
 - ii. PMC Rubbchem P Ltd.
 - iii. Appollo Tyres
 - iv. ATC Tires Private Limited
 - v. Birla Tyre
 - vi. Balkrishna Industries Limited
 - vii. Bridgestone India Private Limited
 - viii. J.K. Fenner (India) Limited
 - ix. CEAT Ltd.
 - x. Ralson
 - xi. MRF Ltd.
 - xii. JK Tyres
 - xiii. TVS Srichakra
 - xiv. Goodyear India Ltd.
 - xv. Malhotra Rubbers Ltd.
 - xvi. Metro Tyres Limited
 - xvii. Speedways Rubber Company
- j. In response to the above notification, following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses:
 - i. M/s Lanxess India Pvt. Ltd.
 - ii. M/s Rishiroop Limited
 - iii. M/s Apollo Tyres Limited
 - iv. M/s CEAT Limited
 - v. M/s JK Tyre & Industries Limited
 - vi. M/s MRF Limited

- k. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 27th May, 2020 to the following known Associations of the subject goods in India.
 - i. Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA)
- l. In response to the above notification, following Associations have responded to the initiation notification:
 - i. Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA)
 - ii. All India Rubber Industries Association (AIRIA)
- m. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- n. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020 (12 months). The injury examination period has however been considered as the period from 1st April 2016 - 31st March 2017, 1st April 2017 – 31st March 18, 1st April 2018 – 31st March 2019, and the period of investigation.
- o. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation, which has been received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- p. The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and reasonable profits the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- q. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- r. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present preliminary findings on the basis of the facts available.
- s. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. The Authority will further examine the evidentiary documents submitted by the interested parties subsequent to preliminary findings, which will form the basis for conclusions at the time of final findings.
- t. '***' in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- u. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 71.65.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as-

"The product under consideration is "Rubber Chemicals PX-13" (hereinafter also referred to as PX-13) also known as 6PPD, Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant 4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P-Phenylenediamine, etc.

PX-13 is an alkyl-aryl-PPD antidegradant most widely used in the tyre and non-tyre sector of the rubber industry. PX-13 offers excellent resistance to rubber vulcanizates against degradative forces such as ozone (static as well as dynamic), flex-cracking and fatigue, oxidative heat ageing, metal-ion catalyzed oxidative ageing, UV light and weathering. It is used as antioxidants in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, Carboxylated Rubber) and other synthetic rubber-based compounds used for manufacture of various rubber products to achieve the desired life cycle of the rubber product. PX-13 is manufactured by reductive alkylation of 4ADPA and MIBK.

The product is classified under the Chapter 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff custom classification 3812. However, there are also imports for the product under consideration under the Chapter 29 of the First Schedule. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”

C.1. Submissions of the domestic industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - i. The product under consideration in the Application is “Rubber Chemical PX-13”. PX-13, also known as 6PPD, Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant 4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N’-Phenyl-P-Phenylenediamine, etc.
 - ii. PX-13 is an alkyl-aryl-PPD antidegradant most widely used in the tyre and non-tyre sector of the rubber industry. PX-13 offers excellent resistance to rubber vulcanizates against degradative forces such as ozone (static as well as dynamic), flex-cracking and fatigue, oxidative heat ageing, metal-ion catalyzed oxidative ageing, UV light and weathering. PX-13 pastilles are easy to handle on all types of weighing systems and quickly disperse in rubber compounds even at lower processing temperatures.
 - iii. The product is classified under the Chapter 29 and 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975). The PUC is being imported under the 8-digit HS codes, 29215130, 29215190, 38121000, 38123030, 38123910, 38123990 and 38123100. The duties have always been recommended by the Authority at 4-digit levels in previous findings of Rubber Chemicals.
 - iv. The Applicant has produced like article to the imported products.

C.2. Submissions of other interested parties

6. Following submission have been made by the exporters/other interested parties with regard to the product under consideration and like article.
 - i. The liquid/melt form is not like article and hence should be excluded from the scope of subject goods.
 - ii. The company has exported liquid form to India, whereas has sold both liquid and solid form in India.
 - iii. The liquid form exported to India was entirely sold to affiliated company who processed it further and sold solid form to eventual consumers in India.

C.3 Examination by the Authority

7. The product under consideration is “Rubber Chemicals PX-13” also known as 6PPD, Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant 4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N’-Phenyl-P-Phenylenediamine.
8. PX-13 is an alkyl-aryl-PPD antidegradant most widely used in the tyre and nontyre sector of the rubber industry. PX-13 offers excellent resistance to rubber vulcanizates against degradative forces such as ozone (static as well as dynamic), flexcracking and fatigue, oxidative heat ageing, metal-ion catalyzed oxidative ageing, UV light and weathering. It is used as antioxidants in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, Carboxylated Rubber) and other Page 2 of 6 synthetic rubber-based compounds used for manufacture of various rubber products to achieve the desired life cycle of the rubber product. PX-13 is manufactured by reductive alkylation of 4ADPA and MIBK.

9. The product is classified under the Chapter 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff custom classification 3812. However, the product under consideration has also been imported under Chapter 29 of the First Schedule. The customs classification has been considered only indicative and not binding on the scope of the product under consideration. Imports of the product under consideration wherever reported have been considered for the purpose of present determination.
10. As regards exclusion of liquid/melt form, the Authority notes that the importer has imported liquid form from its affiliated company in USA, and the affiliated exporter/producer in USA has sold both liquid and solid form in domestic market. The importer in India is a producer of PX-13. The company has processed the imported liquid PX-13 into solid and has thereafter sold to the eventual consumers, along with PX-13 produced by the company. Thus, as far as consumer of the product under consideration are concerned, they have bought solid form of PX-13. Such being the case, the liquid and solid form cannot be treated as two different articles and liquid form cannot be excluded from the scope of the product under consideration.
11. It is seen from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from subject countries is comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions of the domestic industry

12. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
 - a. The Applicant NOCIL Limited account for 'a major proportion' of Indian production of subject goods in India. The applicant accounts for 70.13% of the total Indian production for the subject goods in India.
 - b. The Applicant has not imported the subject goods in the period of investigation from the subject countries.
 - c. The Applicant is not related to any exporters in the subject countries or importers of the subject goods in India.

D.2. Submissions of other interested parties

- a. Lanxess cannot not be excluded from the scope of the domestic industry merely on a ground that it has imported the PUC from a subject country, without determining the status of the quantum of imports made by Lanxess
- b. Lanxess is importing 4ADPA cannot change its status as a domestic manufacturer of the PRODUCT UNDER CONSIDERATION
- c. NOCIL on its own will not be able to fulfil the requirement of 'major proportion' under the Indian AD rules. Request to re-assess NOCIL's standing as the domestic industry including Lanxess' production in the total Indian production and whether it constitutes major proportion in the total Indian production.

D.3. Examination by the Authority

13. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the

alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers”.

14. The Application has been filed by M/s NOCIL Limited. The Applicants has certified that they have neither imported the PUC from the subject countries in the POI nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject countries or any importer of the PUC in India. Considering the information on record, the Applicant accounts for a major proportion of the Indian production.
15. The product under consideration is produced in India by following companies
 - i. Lanxess India P Ltd
 - ii. PMC Rubbchem P Ltd
16. It is seen from the information provided by the Lanxess that the company has imported significant volumes of the product under consideration from USA. It is also noted that the company is related to exporter and is itself an importer, and the volume of such imports is quite significant (entirety of the imports from US are by this company). The Authority has considered Lanxess as a domestic producer, but not domestic industry within the meaning of Rule 2(b). As regards submissions made by interested parties concerning eligibility of Lanxess, India, the Authority notes that ineligibility of Lanxess India is not on account of import of 4-ADPA. The same is on account of imports of PX-13 and its relationship with the exporter from USA.
17. The Production of applicant accounts of 71% in gross Indian production (including Lanxess) and 100% after excluding production of Lanxess.
18. Accordingly, the Authority holds that the Applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. Further, the Authority considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rule.

E: Other Issues :

CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of the other interested parties

19. The domestic industry has failed to appropriately analyse the parameters under the Trade Notice 10/2018, it has also failed to provide the actual figures of some specified parameters in violation of the Trade Notice 10/2018.
20. The domestic industry has failed to appropriately analyse the parameters under the Trade Notice 10/2018, it has also failed to provide the actual figures of some specified parameters in violation of the Trade Notice 10/2018. The domestic industry should be directed to refile the trend, performance parameters and data considering the actuals for March 2020, which is now available.

E.2. Examination by the Authority

21. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

23. As regards the argument of excessive confidentiality claims, the Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claim on confidentiality. The Authority considers that an information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it. The interested party has not shown how the domestic industry has claimed resorted to excessive confidentiality.
24. As regards the argument of information on period of investigation, the same has been filed by the domestic industry. The same has been disclosed to the interested parties. The Authority has considered the information of entire period of investigation in this findings.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1. Submissions of the domestic industry

25. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to market economy, normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - i. Efforts were made to get evidence of the price of subject goods in Korea RP and USA.
 - ii. However, normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in an appropriate third country for the reason that the relevant information is not publicly available and that the product does not have a dedicated customs classification. Therefore, the applicant has claimed consideration of normal value for Korea RP and USA on the basis of constructed cost of production with the addition of reasonable profit margins.
 - iii. Since it is an established fact that Korean Kumho (the sole known manufacturer of PX-13 in Korea RP) is sourcing its requirement of 4ADPA from China PR, the 4ADPA price of Korea RP cannot be adopted for normal value determination.
 - iv. The Designated Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin
 - v. Since the Chinese producers are not entitled to market economy treatment, Para 7 of Annexure I may be followed to determine the normal value.
 - vi. Since the normal value could not be determined on the price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available, the Applicant claims the determination of normal value for China PR on the basis of price payable in India duly adjusted.
 - vii. The Authority should consider actual cost of production for determination of normal value. Normal value should not be based on any normation – whether for raw materials or for conversion costs while determining normal value
 - viii. Since Lanxess USA is exporting the product under consideration to Lanxess India, it is a related party transaction and therefore the export price of these transactions cannot be considered for export price determination. Export price needs to be constructed from resale price of Lanxess India

- ix. The export price from subject countries have been adjusted for the following expenses, which the exporters from the subject countries have incurred for exporting to India, i.e., Ocean freight, marine insurance, commission, VAT (in case of China PR only), inland freight, port expenses and bank charges.
- x. Additionally, for USA, the resale price has also been adjusted for profits, share in SGA expenses, further processing estimates, packing cost, freight expenses from port to factory, landing charges and customs duty.
- xi. Considering the normal value and export price, the dumping margin has been determined at ex-factory level. The dumping margins so determined from the subject countries are above de-minimus levels, significant and substantial.

F.2. Views of the interested parties

26. It has been submitted that Dumping margin should be determined based on the questionnaire response filed by the producers/exporters and actual procurement price of raw material. Rejection of raw material consumption price shall be in violation of Article 2.2.1.1 of AD Agreement. The fact that Chinese producers are non-market economy companies does not imply that the purchase price can be rejected. CESTAT decision upholding rejection of actual cost of 4ADPA in the previous investigation is not relevant, as it is contrary to the WTO jurisprudence.

F.3. Examination by Authority

27. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:
- i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
 - ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
28. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:
- i. M/s Lanxess Corporation USA
 - ii. M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd.
 - iii. M/s Sennics Co., Ltd. Shandong, China PR
 - iv. M/s Sennics Co., Ltd. Tai'an, China PR
 - v. M/s Sennics Singapore Pte. Ltd.
 - vi. M/s Sennics Inc., USA
 - vii. M/s Sennics Co., Ltd., China PR
 - viii. M/s Posco International Cooperation, Korea RP
29. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject countries have been determined as below.

F.4. Determination of normal value**Normal Value in Korea****Kumho Petrochemical Co. Ltd. (“KKPC”) or (“Kumho”)**

30. M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd. (“KKPC”) is a limited liability company established under the Korean Commercial Law. The company has filed Exporter’s Questionnaire response furnishing the requisite information.
31. It is noted from the response that M/s KKPC has sold the subject goods to directly to unrelated customers in the domestic market. It is also noted that KKPC has exported the subject goods directly to India as well as indirectly through an unrelated Korean trader namely, POSCO International Corporation. M/s POSCO International Corporation (“POSCO”) has also provided all the relevant information in the prescribed questionnaire format.

Normal Value

32. M/s KKPC has submitted Exporter’s Questionnaire response furnishing details of domestic sales and cost of sales of subject goods during the POI. During the POI, M/s KKPC has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market.
33. The Authority notes that 4-ADPA is a major raw material in production of the product under consideration. The information provided by the petitioner domestic industry and Kumho show that 4ADPA constitutes significant part of the total cost of production of PX-13. As per information available on record, 4-ADPA is being produced only by Chinese and Indian producer. Information provided by responding producers showed that Kumho have sourced 4-ADPA from China PR. Questionnaire response filed by Chinese producers show that they produce their own 4-ADPA. The responding producers from China PR have not claimed market economy treatment. Further, no information/evidence has been provided by Kumho to show that the purchase price of 4-ADPA reasonably reflects the costs associated with production of PX-13. In view of this, it is noted that the use of actual purchase price of 4ADPA by KKPC from the said non-market economy company would not reasonably reflect the cost associated with production of PX13 (6 PPD). Further, there are no imports of 4ADPA to India from a market economy third country during the POI in the present investigation.
34. The Authority, therefore, provisionally concludes that the use of actual purchase price of 4ADPA by KKPC from the said non-market economy company would not reasonably reflect the cost associated with production of PX13 (6 PPD), and therefore, the consumption price of 4-ADPA reported by Kumho Petrochemicals cannot be adopted for the purpose of determination of cost of production. Further, there are no imports of 4ADPA to India from a market economy third country during the POI in the present investigation. However, during the process of investigation, the export price of 4ADPA from India to USA has been made available by the interested party, and the same has provisionally been accepted as the prevailing international price of 4ADPA during the POI, and cost of production of Kumho for the product under consideration has been modified accordingly. Rest of the cost of production of Px-13 as claimed by Kumho has been provisionally accepted pending further verifications. The revised cost of sales of PX-13 (6PPD) so constructed has been taken into account for ordinary course of trade (“OCT”) test.
35. On the basis of cost of sales provisionally determined as above, the Authority has carried out ordinary course of trade (“OCT”) test, which indicates that less than 80% of domestic sales made during the POI were profitable. Accordingly, profitable domestic sales have been considered for determination of normal value. It is noted from the response that M/s KKPC, during the POI, has sold *** MT of subject goods at average invoice price of KRW *** per kg (USD *** per kg) in the domestic market.
36. M/s KKPC has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost, packing cost and level of trade. The Authority notes that KKPC has not provided reasonable evidences to substantiate level of trade adjustment in the EQR submitted. Therefore, level of trade adjustment has not been considered for the normal value determination. Other adjustments claimed by M/s KKPC have been provisionally accepted for determining the normal value at ex-factory level. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value in USA**i. Lanxess Corporation**

37. M/s. Lanxess Corporation has filed response to exporter's questionnaires, in the prescribed formats. From the data filed by the M/s Lanxess Corporation, the cooperating producer and exporter from USA, it is noted that they have exported the subject goods directly to India to their related party Lanxess India in liquid form. It is further noted that in India, the related party has sold the material in flake form only and therefore, it is considered appropriate to compare Flake to Flake only for the purpose of dumping margin and injury margin. The questionnaire response has been examined and it is noted that the respondent has provided domestic sales price details of the subject goods in respective Appendix. It is also noted that though there are some deficiencies in the response, there is reasonably sufficient information for the purpose of preliminary determination. Therefore, pending further investigation, the Authority has considered it appropriate to determine normal value for the exporter based on information filed by the exporter and, where necessary, facts available to the extent the exporter has not provided relevant information. It is noted that M/s. Lanxess Corp., USA has sold *** MT of subject goods in the domestic market. Out of this *** MT *** MT is liquid and remaining *** MT of flakes in the market. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Based on the ordinary course of trade test, only profitable domestic sales have been taken into account for determination of normal value, as it is seen that more than 20% sales are below cost of production.
38. For arriving at the ex-factory normal value, the Authority has considered adjustments (in USD/MT) on account of inland freight and credit cost from the invoice price of the responding producer. Accordingly, the ex-factory normal value is calculated and mentioned in the dumping margin table.

ii. Non-Cooperative exporters in USA

39. The Authority notes that no other exporter/producer from USA has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers in USA, the Authority provisionally determines the normal value on the basis of facts available information, and the same is mentioned in the dumping margin table.

Normal Value in China PR**Market Economy Status for Chinese Producers**

40. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

41. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a)(i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
42. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

Normal Value for all Producers in China PR.

43. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

44. The prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicant or an interested party, nor is available with the Authority from any public source. Thus, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.. The normal value so determined is given below in dumping margin table.

F.5. Determination of export price**Korea RP**Kumho Petrochemical Co. Ltd.

45. During the POI, M/s KKPC has exported the subject goods directly to India as well as indirectly through an unrelated Korean trader namely, POSCO International Corporation. M/s KKPC and M/s POSCO have provided all the relevant information in the requisite formats. It is noted from the response that during the POI, M/s KKPC has exported *** MT of subject goods to India at an average invoice price of KRW *** per kg (USD *** per kg).
46. M/s KKPC has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, port and other related expenses, overseas insurance, custom broker fees, commission expenses, packing expenses, credit cost, bank charges and duty drawback and the same have been provisionally allowed by the Authority except duty drawback. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

For Non-cooperative Exporters from Korea RP

47. Export price in respect of any other exporters from Korea RP has been determined, provisionally, pending further investigation, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has provisionally considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the responding producer and exporters. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

USALanxess Corporation

48. In the exporters' questionnaire response, the producer / exporter stated that during the POI they directly exported *** MT to their related party in India. The related importer in India has converted the liquid form of the subject goods in to Flake form and therefore, the Authority has made necessary adjustments on account of the conversion cost. As their selling price of subject goods is lower than their purchase price which includes import prices and conversion cost, suitable adjustments have been made from their landed price and net export price. Further, the Authority has provisionally accepted the adjustment as claimed by the exporter on account of inland freight, overseas freight, marine insurance, credit cost, and inland transportation, subject to verification. Accordingly, the export price determined is provided in the dumping margin Table below. The export price so determined has been considered as ex-factory export price of Lanxess USA in respect of solid & packed material. The same has therefore been compared with the normal value of solid and packed material sold by Lanxess USA. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

For Non-Cooperative exporters in USA

49. Export price in respect of any other exporters from USA has been determined, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has provisionally considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the producer and exporters. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

China PR

Export price of Sennics Co., Ltd. Shandong, China PR (Producer), Sennics Co., Ltd. Shanghai, China PR (Exporter), M/s Sennics Inc., USA (Exporter) and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore (Exporter)

50. Sennics Co., Ltd. Shandong (hereinafter also referred to as "Sennics Shandong" or "the Company") is a limited liability company incorporated in China PR under the Chinese law. Sennics Shandong is 100% owned by Sennics Co., Ltd. ("Sennics Shanghai").
51. It is noted that Sennics Co., Ltd., Shandong (Producer) and Sennics Co., Ltd. Tai'an, (Producer), China PR, have filed questionnaire response along with its related trading companies, namely, M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, China PR, Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore and Sennics Inc.,

USA. In their questionnaire response, M/s Sennics Co., Ltd., Shandong and M/s Sennics Co., Ltd. Tai'an, China PR, have declared that these companies have exported the PUC produced by them to India through M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, China PR.

Sennics Co., Ltd. Shandong, China PR (Producer),

Export price of Sennics Co., Ltd. Shandong, China PR (Producer), Sennics Co., Ltd. Shanghai, China PR (Exporter), M/s Sennics Inc., USA (Exporter) and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore (Exporter)

52. The Authority notes that M/s Sennics Co., Ltd., Shandong China PR, has exported *** MT of the PUC during POI to India through M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, out of which M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, has exported *** MT, directly to India, *** MT and *** MT have been exported to India through M/s Sennics Inc., USA and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore respectively.
53. It has been noted that Sennics Inc., USA and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore have reported losses in exports sales of PUC to India. The Export Price has been adjusted to the extent of losses shown by Sennics Inc., USA and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore.
54. The Authority made adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, credit and bank charges, in order to arrive at the weighted average export price at ex-factory level. For the purpose of preliminary findings, the claims made have been accepted subject to the verification of the information filed. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

Sennics Co., Ltd. Tai'an, China PR (Producer)

Export price of Sennics Co., Ltd. Tai'an, China PR (Producer), Sennics Co., Ltd. Shanghai, China PR (Exporter), M/s Sennics Inc., USA (Exporter)

55. The Authority also notes that M/s Sennics Co., Ltd. Tai'an, China PR, has exported *** MT of the PUC during POI to India through M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, out of which M/s Sennics Co., Ltd. Shanghai, has exported *** MT, directly to India and *** MT has been exported to India through M/s Sennics Inc., USA.
56. It has been noted that Sennics Inc., USA and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore have reported losses in exports sales of PUC to India. The Export Price has been adjusted to the extent of losses shown by Sennics Inc., USA and M/s Sennics Singapore Pte. Ltd., Singapore.
57. The Authority made adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port and other related expenses, credit and bank charges, in order to arrive at the weighted average export price at ex-factory level. For the purpose of preliminary findings, the claims made have been accepted subject to the verification of the information filed. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

For Non-cooperative Exporters from China PR

58. Export price in respect of any other exporters from China PR has been determined, provisionally, pending further investigation, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has provisionally considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the responding producer and exporters. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

F.6 Determination of dumping margin

59. It is noted that in the subject investigation many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. This is in particular because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channel their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.

60. In accordance with the above, related producers and exporters from China PR have been regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters.
61. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from subject countries have been provisionally determined as follows:

Dumping margin Table

Country	Producer/Exporter	Normal Value/ CNV (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin US\$/MT	Weighted Average DM	Weighted Average DM%	Range
China PR	Sennics Co., Ltd. Shandong	***	***	***	***	***	70-80
	Sennics Co., Ltd. Tai'an	***	***	***	***	***	70-80
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	100-110
Korea RP	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	***	***	***	***	***	20-30
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	30-40
USA	Lanxess Corporation	***	***	***	***	***	10-20
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	10-20

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1. Submissions of the domestic industry

62. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link. They are as follows:
- The goods from the subject countries directly compete with the like goods by the domestic industry and therefore, it is only appropriate to assess the effect of imports cumulatively.
 - The demand for the product increased in 2017-18, marginally declined in 2018-19 and declined further in the POI.
 - The imports from the subject countries increased in absolute terms in comparison with the base year and declined in the POI when compared to the previous year due to a decline in demand. The imports from subject countries have increased in relative terms.
 - Imports from subject countries, except USA are undercutting the prices of the domestic industry.
 - With regards to USA, Lanxess USA exports to its related party in India i.e., Lanxess India and therefore, the selling price of the applicant has been considered by the domestic industry as the resale price of Lanxess India in order to determine the landed price of imports from USA.
 - The imports from subject countries are suppressing the prices of the domestic industry. Further, price underselling/injury margin is positive and significant.
 - Capacities were constant throughout the injury period and inventories declined. Production, capacity utilization and domestic sales declined in the POI.
 - Domestic industry exported in losses due to inability to sell the product in the domestic market.
 - Market share of imports from subject countries have increased and that of the domestic industry has declined over the injury period.
 - Profitability declined and the domestic industry faced significant financial losses in the POI and in effect, the ability to raise capital investment has weakened.

- k. Cash profits, PBIT, ROCE are negative in the POI. This is also because of cessation of anti-dumping duties against imports from Korea RP and China PR.
- l. Growth of the domestic industry is negative in the POI.
- m. Imports from subject countries pose threat of material injury to the domestic industry.
- n. Factors other than dumped imports are not causing injury to the domestic industry.
- o. Price undercutting and price suppression is due to the effect of dumped imports from subject countries.
- p. Decline in ROCE, profits, cash profits, domestic sales and growth are a result of dumped imports.

G.2. Submissions of other interested parties

63. The following are the submissions of the other interested parties.

- a. The domestic industry has not considered actual data for the last month of the POI i.e. March 2020. Instead, annualized the figures for the purpose of the injury analysis. This has resulted in insufficient information in the domestic industry petition for analysing the injury to the domestic industry in the most recent period. Accordingly, the respondent requests the Hon'ble DA to direct NOCIL to provide an updated petition with the data for the entire POI.
- b. The anti-dumping duty on import of PX-13 from China PR and Korea RP was in existence till 24 July 2019. Thus, injury to the domestic industry on account of import of the PUC before the POI, would have been negated due to such levy.
- c. The data provided by the domestic industry shows that there is a decline in import volume of PUC during the recent period i.e. the POI. Moreover, user industry is forced to import on account of demand-supply gap
- d. As the domestic industry is unable to meet the entire demand which increased during the injury period, the same resulted in increase in imports of PUC during the said period. Similarly, when the demand of the PUC declined during the POI, as admitted by the domestic industry itself¹⁰, the same resulted in decrease in imports of the PUC for the period.
- e. Maximum increase in relative terms is visible from countries with AD duty levy, i.e. the European Union ('EU') which is much higher than the subject countries in the present investigation.
- f. There is no price suppression or depression during the injury period. the landed value from 2016-17 till 2018-19 has increased by 48% which is much more than the increase in selling price of the domestic industry.
- g. The production, sales and capacity utilization of the domestic industry has continuously increased till 2018-19. The data provided for POI(A) is based on estimated figures therefore, the same should be confirmed basis actual data for March 2020
- h. Inventories of the domestic industry have experienced a decline during the injury period
- i. Market Share of domestic industry has increased in the in period of investigation.
- j. Interest cost and depreciation and amortization expense of the domestic industry has increased during the POI(A).
- k. There was a fall in demand/consumption of PUC due to economic slowdown in the automobile sector in India. Thus, these factors may have impacted the profitability of the domestic industry in the present investigation and can be probable reason of losses to the domestic industry
- l. Losses from export sales cannot be a part of the injury analysis in an anti-dumping investigation and must be separated from the parameters in the present analysis.
- m. Domestic industry's major production is utilized in export sales and it is one of the reasons to contribute to the losses suffered by the domestic industry if any.
- n. Increase in import volumes of the PUC during the investigation period may be attributable to the lack of domestic supply in India owing to the domestic industry's affinity towards export markets

- o. Domestic selling prices of the PUC has dropped in the POI due to a massive fall in crude prices worldwide, which lowered the cost of raw materials by 40% which has been admitted to by the domestic industry itself in its 2018-19 annual report. However, the domestic selling price still shows an increase by 5% in 2018-19 as compared to the base year despite the massive reduction in raw material cost.
- p. It is submitted that the domestic producers of the subject goods are suffering injury because of imports of the subject goods from China PR and Korea RP. It is further submitted that the subject goods imported from USA are at substantially higher price, as compared to China PR and Korea RP and therefore, are not causing injury to domestic producers in India.
- q. Domestic industry domestic industry has been claiming protection for 10 years through AD and safeguard measures, despite which it is not able to cater to the demand.
- r. It has been submitted by the cooperating producer and exporter from USA that the domestic industry has not suffered any injury from US imports as (a) imports from USA are at prices higher than China PR and Korea RP, (b) imports are in liquid form, which is converted into flakes in India, (c) liquid PX-13 has very little market share, (d) domestic industry domestic industry is suffering losses and distortions due to imports from Korea RP and China PR, (e) imports from USA have remained competitive. Imports from USA should therefore be excluded from investigation.
- s. Previous SSR filed in 2018 by domestic industry was not initiated since there was no likelihood of injury and a provisional duty would be in contravention to the same.
- t. Imposition of duty will be prejudicial to the interest of users.
- u. Prices of the product have softened due to slow down, better availability, general decline in CIF prices and input prices. Slowdown in OEM industry impacted capacity utilization of major tire companies. Increase in depreciation cost, interest cost, foregoing opportunity cost of domestic industry, decline in demand in auto industry, etc. lead to decline in profitability. Also the domestic industry is planning capacity expansion.
- v. Price undercutting range (15-25%) is lower than the range in the terminated SSR investigation.
- w. Imports increased due to lack of supply. Export orientation increased while capacity remained the same.

G.3. Examination by the Authority

64. The Authority has taken note of the arguments and counterarguments of all the interested parties with regard to injury to the Domestic Industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

G.3.1 Cumulative assessment

65. Annexure-II para (iii) of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- i. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - ii. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
66. The Authority notes that
- i. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

- ii. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
- iii. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. It is noted that the consumers who are buying from the domestic industry are also importing from amongst the subject countries.
67. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry. The Authority notes that even though US exporter has supplied the product in liquid form, the same has been eventually sold in solid form by the related importer. Further, the related importer is engaged in production of the product under consideration, and therefore holds all facilities for conversion of the product into solid. The consumers have ultimately consumed the product in solid form only.
68. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

G.3.2 Volume effect of dumped imports on domestic industry

a) Assessment of demand / apparent consumption

69. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all sources.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>107</i>	<i>92</i>
Sales of other Indian producer	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>113</i>	<i>108</i>	<i>83</i>
Subject Countries	MT	5,812	6,797	7,455	7,191
Countries attracting duty - European Union	MT	1,197	2,440	2,591	2,320
Other Countries	MT	0	0	10	312
Total Indian Demand	MT	21,130	25,577	25,184	22,411
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>119</i>	<i>106</i>

70. It is seen that the demand for the subject good has increased during the injury period, with a marginal decline in the POI. The overall demand of subject goods have increased over the injury period.

b) Import volumes from the subject countries

71. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. Factual position is as follows –

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject Countries	MT	5,812	6,797	7,455	7,191
China PR	MT	2,004	3,537	3,882	3,749
Korea RP	MT	2,657	2,170	1,342	2,085
USA	MT	1,152	1,090	2,231	1,357
Countries attracting duty -European Union	MT	1,197	2,440	2,591	2,320
Other Countries	MT	0	0	10	312
Subject Imports in relation to					
Production	%	41.24	39.33	43.40	55.47
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>95</i>	<i>105</i>	<i>135</i>
Consumption	%	27.51	26.57	29.60	32.09
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>108</i>	<i>117</i>

72. It is seen that the volume of imports from subject countries has increased till 2018-19 but declined marginally during the period of investigation. However, the overall imports of subject goods from subject countries have increased during the POI. The volume of imports from subject countries have increased in relation to total Indian production and consumption.

G.3.3 Price effect of the dumped imports

73. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a) Price undercutting

74. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Net Sales Realisation	₹/Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>131</i>	<i>132</i>	<i>104</i>
China PR					
Landed Price	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	<i>range</i>	<i>40-50</i>	<i>30-40</i>	<i>40-50</i>	<i>20-30</i>
Korea RP					
Landed Price	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	<i>range</i>	<i>60-70</i>	<i>30-40</i>	<i>20-30</i>	<i>20-30</i>
USA					
Landed Price	₹/Kg	***	***	***	***

Price Undercutting	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	range	10-20	40-50	10-20	(0-10)
Subject Countries					
Landed Price	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	₹/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	range	40-50	30-40	20-30	10-20

75. It is seen that the imports from subject countries except for USA are entering at a price below the domestic selling price of the Domestic Industry, resulting in positive price undercutting. On a cumulative basis, the price undercutting margins from subject countries are positive.
76. As regards USA, the Authority notes that imports have been made by Lanxess India, who has imported the material in liquid form, processed the same into solid form and thereafter sold the same into India. The Authority further notes that the price undercutting is negative from USA due to the fact that exporters from USA export the subject goods to India at a higher price and their related party sales price in Indian market is lower than the cost price which included import prices of Liquid PX-13 and conversion cost from liquid to Flake of the Indian user. Thus, suitable adjustment has been made from their landed price. Therefore, it is noted that the import price recorded in DGCI&S import data is not showcasing the actual prevailing price of USA exporters in the Indian market.

b) Price suppression/depression:

77. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which other would have occurred in normal course, the Authority has considered the changes in the costs and prices over the injury period. The table below shows factual position:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>109</i>	<i>105</i>
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>131</i>	<i>132</i>	<i>104</i>
Landed Value (Subject Countries)	Rs/Kg	143	195	212	183
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>137</i>	<i>148</i>	<i>128</i>

78. It is seen that

- the landed price of imports from subject countries has remained below the cost of sales and the selling price of the domestic industry throughout the injury period
- Even though the cost has increased over the injury period, the domestic industry has not been able to increase its selling price in proportion to increase in costs.
- Whereas the costs declined in 2017-18, both the import price and selling price increased significantly in this period.
- Whereas the selling price and costs both declined in the POI as compared to the preceding year, the decline in the selling price was far more than the decline in the costs.

It is thus seen that imports of subject goods from subject countries are suppressing the prices of the domestic industry in the market.

c) Price Underselling

79. The Authority has also examined price underselling suffered by the Domestic Industry on account of dumped imports. For this purpose, the NIP determined has been compared with the landed price of imports. Summarized position is as follows

Particulars - POI	Unit	China PR	Korea RP	USA	Subject Countries
Non-Injurious Price	₹/Kg	***	***	***	***
Landed price	₹/Kg	***	***	***	***
Injury Margin /Price underselling	₹/Kg	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	%,Range	50-60	50-60	10-20	40-50

80. It is seen that the landed price of imports was significantly below the non-injurious price of the Domestic Industry. The Authority notes that the Domestic Industry has suffered price underselling during POI due to dumped imports of the subject goods from the subject countries.

G.3.4 Economic parameters of the domestic industry

81. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below
82. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

i. Production, capacity, capacity utilization and sale

83. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Production	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>128</i>	<i>129</i>	<i>97</i>
Capacity Utilization	%	65	83	84	63
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>128</i>	<i>129</i>	<i>97</i>
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>107</i>	<i>92</i>
Average Stocks	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>74</i>	<i>95</i>	<i>91</i>

84. It is seen that

- Production and capacity utilization of the domestic industry increased till 2018-19 and then declined significantly in the period of investigation.
- Whereas demand over the injury period was positive, production and capacity utilization in POI were at a level below the base year.

- c. Domestic sales of the domestic industry have shown a trend similar to that of production. Domestic sales increased in 2017-18 and then declined significantly in the period of investigation. Sales in POI were at a level below the base year.
- d. Overall, the production, capacity utilization and sales have declined during the POI as compared to base year.
- e. Inventories with the domestic industry declined in 2017-18, but increased thereafter. However, inventories have declined over the injury period.

ii. Market share in Demand

85. The market share of the domestic industry is shown in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI*
Domestic industry	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>90</i>	<i>87</i>
Other Indian producer	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>90</i>	<i>78</i>
Subject Countries	%	27.51	26.57	29.60	32.09
China PR	%	9.48	13.83	15.42	16.73
Korea RP	%	12.57	8.48	5.33	9.30
USA	%	5.45	4.26	8.86	6.06
Countries attracting duty - European Union	%	5.66	9.54	10.29	10.35
Other Countries	%	-	0.00	0.04	1.39

86. It is seen that the market share of the domestic industry has declined throughout the injury period. The market share of the subject countries have increased over the injury period, whereas market share of the domestic industry has declined.

iii. Profitability, cash profits and return on capital employed

87. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI*
Profit/Loss	₹/Kg	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>252</i>	<i>104</i>	<i>-118</i>
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>296</i>	<i>111</i>	<i>-109</i>
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>331</i>	<i>123</i>	<i>-118</i>
Cash Profits	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>346</i>	<i>134</i>	<i>-111</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>308</i>	<i>120</i>	<i>-142</i>

88. It is seen that

- a. The domestic industry was suffering financial losses in 2016-17. With decline in costs and increase in prices, the domestic industry earned profits in 2017-18 which declined in 2018-19 and further in POI. The decline in profitability in the POI was very significant and the domestic industry once again suffered financial losses in the POI.

- b. Cash profits, PBIT and return on investment have shown the same trend as profits. Performance of the domestic industry in respect of cash profits, PBIT and return on investment first improved in 2017-18 and thereafter declined significantly till POI. The domestic industry has suffered cash losses, negative PBIT and return on investment in the POI.

iv. Employment, wages and productivity

89. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI*
No. of Employees	Nos	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
Productivity Per Day	MT	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>128</i>	<i>129</i>	<i>97</i>
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>89</i>	<i>79</i>	<i>71</i>

90. It is seen that

- The employment levels have remained constant in the last three years.
- The productivity per day increased steadily till 2018-19 but declined in the POI.
- The wages paid has declined throughout the injury period.

91. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

v. Growth

92. The growth of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits, and return on investment was positive in 2017-18 and became negative thereafter with a significant decline in the POI

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI
Production	Y/Y	22	1	(33)
Domestic Sales	Y/Y	15	(10)	(15)
Cost of Sales	Y/Y	(8)	14	(3)
Selling price	Y/Y	24	1	(27)
Profit/Loss	Y/Y	66	0	(2)
Cash profits	Y/Y	71	(158)	(20)
ROCE	Y/Y	27	(24)	(33)

vi. Ability to raise capital investment

93. It is seen that the domestic industry has faced significant decline in profitability, which has weakened its ability to raise capital investment.

vii. Factors affecting domestic prices

94. It is seen that the import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. The landed value of the subject goods from the subject countries are below the cost and selling price of the domestic industry. Further, the domestic industry is unable to retain its prices in the market due to presence of dumped imports in the country. The prices of imports have suppressed the prices of the domestic industry to a significant degree. The imports of subject goods from third

countries are either attracting anti-dumping duty or at de-minimus levels or are at higher prices. The dumped imports are impacting the prices of the domestic industry. Hence, it is provisionally concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

95. The Authority has taken note of the arguments and counterarguments of all the interested parties with regard to injury to the Domestic Industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
96. As regards the argument of demand supply gap, the Authority considers that possible demand-supply gap cannot deprive a domestic industry from seeking redressal against dumped imports causing injury. If the exporters wish to meet the requirement in Indian market that could be done by meeting the requirements at an undumped price. It is also provisionally noted that the profitability of the domestic industry is much adverse in the export market, as compared to domestic market. It is not established that the domestic industry preferred exports over domestic sales. Further, it is seen that the capacity utilisation of the domestic industry declined significantly in the present investigation period.
97. As regards the argument of exports of domestic industry causing injury, it is clarified that the performance of the domestic industry has been analysed with respect to its domestic operations only. Losses suffered in exports have been segregated and not considered in the present findings.
98. As regards the decline in the raw material prices, it is noted that the profitability of the domestic industry has been considered, having regard to actual raw material prices. It is seen that the profitability of the domestic industry significantly declined, despite these decline in raw material prices.
99. It is seen that the quantum of decline in profitability is not due to increase in interest and depreciation costs. It is also seen that the performance of the domestic industry declined in respect of profit before interest (ROI) and profit before depreciation (cash profits).
100. As regards decline in demand, it is seen that whereas the demand for the product declined, the imports from subject countries increased and production, domestic sales and capacity utilisation of the domestic industry declined.
101. As regards previous ADD and absence of injury due to the same, it is clarified that the Authority has considered injury to the domestic industry in the present POI.
102. With regard to the contention of the interested parties that imposition of anti-dumping duty will not be prejudicial to interests of the users, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
103. With regard to the issue of continued duty raised by the interested parties, the Authority notes that there is no antidumping duty on the product at present. In fact, the Authority had earlier recommended cessation of antidumping duty on the grounds that there was no likelihood of injury to the domestic industry. The information relating to the domestic industry however shows that the domestic industry is once again suffering injury, due to significant price depression caused by the imports of subject goods from subject countries.

viii. Magnitude of price underselling/injury margin

104. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital

employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

105. Landed price for the cooperating exporters has been determined from the CIF export price determined for the purpose of dumping margin determination. Applicable customs duties have been added to determine landed price of imports. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
106. As mentioned in the dumping margin analysis in this Provisional Findings, it is noted from the response filed by the Lanxess Corporation, USA (producer / exporter) that their related user / importer Lanxess India in India has incurred a loss during the sale of the subject goods in Flake Form. As their sales price of subject goods in Flake Form is lower than the cost price which included import prices of Liquid PX-13 and conversion cost from liquid to Flake, suitable adjustment has been made from their landed price.
107. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below

Country	Producer	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Value (US\$/MT)	Injury Margin US\$/MT	IM weighted	IM%	IM range
China PR	Sennics Co., Ltd. Shandong	***	***	***	***	***	50-60
	Sennics Co., Ltd. Tai'an	***	***	***	***	***	50-60
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	80-90
Korea RP	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	***	***	***	***	***	40-50
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	50-60
USA	Lanxess Corporation	***	***	***	***	***	0-10
	Other Producers and Exporters	***	***	***	***	***	0-10

G.3.5 Conclusion on Injury

108. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in both absolute and relative terms. The imports from the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry and the price underselling is positive. The imports from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the period of investigation. The performance of the Domestic Industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed. The Domestic Industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on investments in the period of investigation. In view of the foregoing, the Authority provisionally concludes that the Domestic Industry has suffered material injury.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

109. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in

the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a) Volume and value of Imports not sold at dumped prices

110. The imports from other countries are either attracting anti-dumping duty or at de-minimis levels. Thus, imports from other countries do not appear to have caused injury to the domestic industry.

b) Contraction in demand

111. While overall demand has increased, the demand has declined in the period of investigation. However, the volume of imports have increased in POI. Thus, the claimed injury to the Domestic Industry is not on account of contraction of demand.

c) Changes in pattern of consumption

112. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

113. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

114. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

f) Export performance of the domestic industry

115. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the domestic industry. However, the domestic industry has submitted that it is compelled to export only because of absence of demand for the product from the domestic market.

g) Performance of other products

116. The domestic industry has provided the injury data of PUC performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

Conclusion on Causal Link

117. The Authority provisionally concludes that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to subject dumped imports:

- i. The imports are undercutting the prices of Domestic Industry and are priced below the cost of the Domestic Industry.
- ii. The imports have forced the Domestic Industry to sell the product at a price below cost of production. The Domestic Industry has suffered price depression on account of dumped imports.
- iii. The adverse volume and price effect on account of imports of subject goods from subject countries has resulted in financial losses, cash losses and negative return on investments in the POI.
- iv. Price undercutting has led to increase in imports and decline in sales of the domestic industry.
- v. Decline in sales of the domestic industry has led to decline in market share, production and capacity utilization of the domestic industry.

118. The Authority, thus, provisionally concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

119. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

J. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

120. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:

- i. The subject goods have been exported to India from the subject countries at dumped prices.
- ii. The domestic industry has suffered material injury.
- iii. The material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports.

121. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of provisional duty is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. The Authority considers it necessary and recommends imposition of provisional anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

122. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional antidumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3812, 2921, (note 1)	Rubber Chemical PX 13 (note 2)	China PR	Any country including China PR	Sennics Co., Ltd. Shandong	1,235.99	MT	US\$
2	- do -	- do -	China PR	Any country including China PR	Sennics Co., Ltd. Tai'an	1,235.99	MT	US\$

3	- do -	- do -	China PR	Any country including China PR	Any producer other than Serial Number 1 & 2	1,570.34	MT	US\$
4	- do -	- do -	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	China PR	Any	1,570.34	MT	US\$
5	- do -	- do -	Korea RP	Any country including Korea RP	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	532.06	MT	US\$
6	- do -	- do -	Korea RP	Any country including Korea	Any producer other than Serial Number 5	697.18	MT	US\$
7	- do -	- do -	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	Korea RP	Any	697.18	MT	US\$
8	- do -	- do -	USA	Any country including USA	Lanxess Corporation	81.76	MT	US\$
9	- do -	- do -	USA	Any country including USA	Any producer other than Serial Number 8	195.56	MT	US\$
10	- do -	- do -	Any country other than countries attracting anti-dumping duty	USA	Any	195.56	MT	US\$

Note-1 - Customs classification mentioned above is only indicative.

Not-2 - The description of the product under consideration is "Rubber Chemicals PX-13" also known as 6PPD, Antioxidant 6PPD, Kumanox 13, Santoflex 6PPD, Sirantox 6PPD, Vulkanox 4020, Antioxidant 4020, Dussantox 6PPD, Antage 6C, N-1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P-Phenylenediamine.

K. FURTHER PROCEDURE

123. The procedure as below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- The Authority invites comments on this Preliminary finding from all interested parties and the same, considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.
- Domestic industry, exporters, importers and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make their views known, within thirty days from the date of the publication of these preliminary findings.

- c. Any other interested party may also make known its views within thirty days from the date of publication of these findings.
- d. The Authority would conduct oral hearing in terms of rule 6(6) to give an opportunity to all interested parties to present their views relevant to the investigation. Issues and concerns raised during oral hearing will be examined in the final findings.
- e. The date of the oral hearing would be announced on the DGTR website (dgtr.gov.in).
- f. The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary.
- g. The Authority would disclose the essential facts as per the Rules before announcing the final findings.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. and Designated Authority